

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय—2

की धारा—4 (1) ख के अन्तर्गत मैनुअल

वर्ष 2018—19



उत्तराखण्ड लाईवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड  
पशुधन भवन, प्रथम तल, मोथरोवाला रोड, पो0आ०  
मोथरोवाला, देहरादून—248001  
टेलीफैक्स : (0135) 2532619

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय—2  
की धारा—4 (1) ख के अन्तर्गत मैनुअल

वर्ष 2018—19

(मैनुअल संख्या 1 से 17)

उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड  
देहरादून

**सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय-2 की धारा-4 (1)  
ख के अन्तर्गत मैनुअल संख्या 1 से 17 की अनुक्रमणिका**

<b>मैनुअल संख्या</b>	<b>विषय</b>	<b>पृष्ठ सं0</b>
	<b>प्रस्तावना</b>	1–3
मैनुअल-1	संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य	4–9
मैनुअल-2	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य	10–22
मैनुअल-3	कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका एवं अभिलेख	23–27
मैनुअल-4	नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जनप्रतिनिधियों से परामर्श के लिये बनायी गयी व्यवस्था का विवरण	28–29
मैनुअल-5	लोक प्राधिकारों के पास या उसके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्ग (Categories) के अनुसार विवरण	30–31
मैनुअल-6	बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण	32–35
मैनुअल-7	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां	36–38
मैनुअल-8	निर्णय लेने की प्रक्रिया	39–41
मैनुअल-9	अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	42–43
मैनुअल-10	प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति	44–45
मैनुअल-11	प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट	46–47

मैनुअल-12	अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति (क) स्वरोजगारी ए.आई. कर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप	48–52 53
मैनुअल-13	रियायतों अनुज्ञा पत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण	54–55
मैनुअल-14	कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/नियम	56–57
मैनुअल-15	इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनायें	58–59
मैनुअल-16	सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण	60–61
मैनुअल-17	अन्य उपयोगी जानकारियां	62–66

# प्रस्तावना

## 1.1 पृष्ठभूमि

भारत सरकार द्वारा निश्चय किया गया कि सूचनाओं पर बृहत्तर तथा अधिक प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह अपेक्षित है कि सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम 2002 को अधिक प्रगतिशील, सहभागी एवं अर्थपूर्ण होना चाहिए। इस विषय पर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने संदर्भित अधिनियम को अधिक सहज/सरल करने तथा सूचना तक बृहत्तर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कुछ मुख्य परिवर्तन समावेशित करने का सुझाव दिया। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद तथा अन्य द्वारा प्रदत्त सुझावों के परीक्षणोंपरांत भारत सरकार ने इस कानून में कई परिवर्तन करने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद तथा अन्य द्वारा प्रस्तावित महत्वपूर्ण परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम 2002 को निरस्त कर उसके स्थान पर दूसरा अधिनियम लाया जाय, जो भारतीय संविधान के 19वें अनुच्छेद के अन्तर्गत मान्य सूचना के अधिकार को एक प्रभावी ढांचा प्रदान करें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, संसद में सूचना अधिकार बिल प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार राज्यों में भी सूचना के अधिकार सम्बन्धी अधिनियम बनाये जाने की प्रक्रिया चलायी गयी। इसके लिए यू.एल.डी.बी. द्वारा भी प्रस्तुत मैनुअल तैयार किया गया है।

## 1.2 मैनुअल का उद्देश्य

- यू.एल.डी.बी. की सूचनाओं पर पशुपालकों/जनसामान्य की बृहत्तर तथा अधिक प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करना, तथा उसे अधिक प्रगतिशील, प्रतिभागित, सहभागी, अर्थपूर्ण और पारदर्शी बनाना।
- उपरोक्त के साथ-साथ संस्था में अपीली तंत्र की स्थापना, जो जन सूचना अधिकारियों के निर्णय को पुनरीक्षित करने के लिए अन्वेषण शक्ति धारित हो।
- सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम के अनुसार सूचनायें उपलब्ध करने में असफल रहने के लिए दण्डात्मक प्राविधान, अधिकतम प्रकटीकरण एवं निम्नतम छूट को सुनिश्चित करने के प्राविधान की व्यवस्था करना।
- संवैधानिक प्राविधानों के लिए संगत, तथा सूचना तक पहुंच एवं प्राधिकारियों द्वारा प्रकटीकरण के लिए प्रभावी तंत्र इत्यादि विकसित करना।
- मान्य सूचना के अधिकार को कार्यान्वयित करने के लिए प्रभावी ढांचा उपलब्ध कराना।

## 1.3 मैनुअल किन व्यक्तियों/संस्थानों/संगठनों के लिए उपयोगी है।

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त पशुपालकों, पशुधन से सम्बन्धित विभिन्न संस्थाओं/संगठनों/संस्थानों, के साथ-साथ इस पशुधन से सम्बन्धित कार्य में लगे व्यक्तियों, विभिन्न पैरावेट्स, सांड पालकों तथा पशुधन से सम्बन्धित अनुसंधान एवं विकास कार्यों में लगे लोगों के लिए यह मैनुअल उपयोगी होगा।

## 1.4 मैनुअल का प्रारूप

यह हस्त पुस्तिका 17 अध्यायों में बंटी हुई है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के मैनुअलों के माध्यम से उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड तथा उसके विभिन्न कार्यकलापों, योजनाओं, इकाइयों, आदि की विस्तृत जानकारी इस हस्त पुस्तिका में उपलब्ध है।

## 1.5 परिभाषायें :

“अधिनियम” का तात्पर्य सूचना, स्वातंत्र्य अधिनियम 2002 तथा समय-समय पर यथा संशोधित उक्त अधिनियम से है।

“नियमावली” का तात्पर्य सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्रभावी तथा समय-समय पर यथा संशोधित नियमावली से है।

“मैनुअल” का तात्पर्य उपरोक्त अधिनियमों एवं नियमों के क्रम में यू.एल.डी.बी. की सूचनाओं के सम्बन्ध में तैयार किये गए विभिन्न मैनुअलों से है।

“केन्द्र सरकार” का तात्पर्य भारत सरकार से है।

“राज्य/प्रदेश सरकार” का तात्पर्य उत्तराखण्ड सरकार से है।

“यूएलडीबी(बोर्ड) ” का तात्पर्य उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड (उत्तराखण्ड पशुधन विकास परिषद) से है।

“ए०पी०आई०ओ” का तात्पर्य सहायक लोक सूचना अधिकारी से है।

“पी०आई०ओ” का तात्पर्य लोक सूचना अधिकारी से है।

“डी०ए०ए०” का तात्पर्य विभागीय अपील अधिकारी से है।

‘निर्देशिका’ का तात्पर्य सूचना के अधिकार के सम्बन्ध में जारी/समय—समय पर जारी होने वाली निर्देशिका से है।

‘विभाग’ का तात्पर्य पशुपालन विभाग से है।

‘प्रक्षेत्र/फार्म’ का तात्पर्य उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड द्वारा संचालित फार्म/विभागीय फार्म से है।

“इकाई” का तात्पर्य राज्य में कार्यरत यूएलडीबी. की विभिन्न इकाइयों से है।

“ए.आई” का तात्पर्य कृत्रिम गर्भाधान से है।

“एन.बी.” का तात्पर्य नैसर्गिक अभिजनन से है।

“ई.टी.” का तात्पर्य भ्रूण प्रत्यारोपण से है।

“पी.टी.पी.” का तात्पर्य प्रोजनी टेरिटंग प्रोग्राम से है।

“अभिलेख.” का तात्पर्य सूचना के अधिकार के अन्तर्गत तैयार/रखे जाने वाले विभिन्न अभिलेखों से है।

1.6 मैनुअल में समायोजित विषयों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी तथा अन्य जानकारियों के लिए संपर्क व्यक्ति।

राज्य स्तर पर – उप प्रबन्धक (एम.आई.एस.), यूएलडीबी. मुख्यालय।

जनपद स्तर पर – सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/जनपदीय प्रबन्धक, यूएलडीबी.।

ए.आई. केन्द्र स्तर पर – सम्बन्धित राजकीय पशुचिकित्साधिकारी/कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र अधिकारी

1.7 मैनुअल में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि एवं शुल्क।

शासन द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार एवं शासन से निर्धारित शुल्क अदा करने के उपरांत अतिरिक्त जानकारियां उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

## मैनुअल 1

संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य

## लोक प्राधिकरण के उद्देश्य

उत्तराखण्ड पशुधन विकास परिषद के गठन का मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य के पशुधन (गाय एवं भैंस) के प्रजनन एवं पशु-प्रबन्धन को नवीनतम तकनीकों द्वारा प्रोत्साहित कर बढ़ावा देना एवं इससे सम्बन्धित समस्त गतिविधियों को स्वावलम्बी बनाकर पशुधन उत्पादों में वृद्धि करना है :

- पशुप्रजनन एवं पशुधन विकास से सम्बन्धित संस्थागत ढांचा में सुधार, उनके उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि एवं तत्सम्बन्धी नई संस्थाओं की स्थापना कर ऐसे निवेश से लाभ प्राप्त करने में राज्य सरकार को सलाह एवं सहायता करना।
- राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर गाय एवं भैंसों हेतु राज्य की पशु प्रजनन नीति के अनुरूप कार्यक्रम तैयार करके पशु उत्पादन एवं गुणवत्ता में निरन्तर वृद्धि करना।
- गैर सरकारी संस्थाओं (सहकारी समितियों, गोशालाओं, ट्रस्टों एवं स्वयमसेवी संस्थाओं) आदि को संगठित / प्रोत्साहित करके गुणात्मक प्रजनन सामग्री का उत्पादन / उपार्जन करना एवं लाभार्थी / कृषकों के द्वार पर ही पशुप्रजनन सेवाएं उपलब्ध कराना।
- अतिहिमीकृत वीर्य एवं तरल नत्रजन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ एवं सुचारू रूप से सुव्यस्थित कर निरन्तर आपूर्ति करना।
- गाय एवं भैंसों को आधुनिक तकनीकों के अनुसार रख-रखाव व पालन-पोषण करके देशी एवं संकर नस्ल के उच्च प्रजाति / गुणवत्ता के सांड नैसर्गिक अभिजनन हेतु तैयार करना।
- राज्य में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं को उच्चीकृत / आधुनिकीकृत करके निरन्तर बेहतर प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पादित करके लाभार्थीयों एवं कार्मिकों की दक्षता में आमूल-चूल सुधार करना।
- इस तरह संस्था का मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में पशुधन (गाय एवं भैंस) के प्रजनन एवं प्रबन्धन को नवीनतम तकनीक द्वारा बढ़ावा देना एवं इससे सम्बन्धित गतिविधियों को स्वावलम्बी तथा रोजगारपरक बनाकर पशुधन उत्पादों में वृद्धि करना है।
- इसके साथ-साथ उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य में चारा उत्पादन के कार्य को बढ़ावा देने सम्बन्धी कार्य भी वित्तीय वर्ष 2004-05 में यू.एल.डी.बी. को सौंपा गया है।

## 2.2 लोक प्राधिकरण का मिशन / विजन

**मिशन :** राज्य के पशुधन (गाय एवं भैंस) के अनुवांशिक गुणों में वृद्धि कर उनकी उत्पादकता बढ़ाने हेतु तत्सम्बन्धी समस्त गतिविधियों को अंगीकृत, समावेशित, एकीकृत एवं उन्नयन करके उनका संगठन एवं प्रबन्धन करना।

**विजन :** राज्य की समस्त प्रजनन योग्य गाय एवं भैंसों को संगठित पशु प्रजनन कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुपालन के द्वारा गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध करवाकर उनको इस कार्यक्रम से शत्-प्रतिशत आच्छादित करना।

## 2.3 लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग

उत्तराखण्ड राज्य के विषम भौगोलिक परिवेश में पशुपालन को स्वरोजगार एवं आय का एक प्रमुख संसाधन लक्षित करते हुए राज्य में पशुपालन पर आधारित व्यवसाय को सुदृढ़ एवं सुनियोजित करके स्वरोजगार की असीम सम्भावनाओं को प्राप्त करने हेतु तथा राज्य के कुल सकल उत्पाद में पशुपालन की 9.82% भागीदारी होने के बावजूद भी राज्य में उपलब्ध अवर्गीकृत गायों / भैंसों की नस्ल में अपेक्षित सुधार इतने वर्षों के बाद भी परिलक्षित न हो सकने के कारण वर्ष 2001 –2002 में राज्य में पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम एवं पशु प्रजनन सुविधाओं को सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित करने हेतु भारत सरकार के राष्ट्रीय गौ एवं महिषवंशीय प्रजनन परियोजना के दिशा – निर्देशों के अनुसार उत्तरांचल शासन ने उत्तराखण्ड पशुधन विकास परिषद (उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड) के गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। तदनुसार यू.एल.डी.बी. का गठन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन नम्बर 343/2001-02 दिनांक 27 जून 2001 द्वारा किया गया।

**उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड (यू.एल.डी.बी.) का संक्षिप्त परिचय :**

- स्थापना – वर्ष 2001–02
- कार्य प्रारम्भ – जुलाई 2002
- मुख्यालय – पशुधन भवन, द्वितीय तल (बांयी विंग), मोथरोवाला रोड, पो03०० मोथरोवाला, देहरादून।
- पंजीकरण – सं0 343, दिनांक 27.06.2001 (सोसाइटीज अधिनियम 1860 के अन्तर्गत)
- प्रायोजक – भारत सरकार की राष्ट्रीय गौवंशीय एवं महिषवंशीय परियोजना।

## 2.4 लोक प्राधिकरण के कर्तव्य

उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड (उत्तराखण्ड पशुधन विकास परिषद) द्वारा राज्य में पशु प्रजनन की सभी विधाओं—यथा नैसर्गिक अभिजनन, कृत्रिम गर्भाधान तथा भ्रूण प्रत्यारोपण के कार्यों के सुगमीकरण (Facilitation) हेतु एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में कार्य सम्पादन करना तथा राज्य में चारा घासों के संवर्द्धन, उत्पादन, विकास, शोध एवं विस्तार सम्बन्धी कार्यों/योजनाओं का संचालन करना।

## 2.5 लोक प्राधिकरण के मुख्य कृत्य

- अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन एवं वितरण कार्यक्रम
- इनपुट वितरण कार्यक्रम
- नैसर्गिक अभिजनन कार्यक्रम (दारिन्दा पद्धति पर)
- प्रशिक्षण कार्यक्रम (कृत्रिम गर्भाधान)
- भ्रूण प्रत्यारोपण कार्यक्रम
- फील्ड परफारमेन्स रिकार्डिंग कार्यक्रम
- चारा विकास कार्यक्रम
- पशुधन बीमा योजना
- सूचना प्रबन्धन पद्धति (एम.आई.एस.)
- प्रोजनी टेस्टिंग प्रोग्राम

## 2.6 लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण

- **अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन कार्यक्रम** – उच्च गुणवत्ता के अतिहिमीकृत वीर्य का उत्पादन करके कृत्रिम गर्भाधान इकाइयों को नियमित रूप से निश्चित अंतराल पर वितरित करना।
- **इनपुट वितरण कार्यक्रम** – पशुपालन विभाग, प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं एवं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ आदि के कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों/पैरावेट्स/इकाइयों को अतिहिमीकृत वीर्य, तरल नत्रजन एवं अन्य इनपुट्स आदि की ए.आई. केन्द्रों पर नियमित आपूर्ति करना।
- **नैसर्गिक अभिजनन कार्यक्रम** – राज्य के दुर्गम एवं दुरुह पर्वतीय क्षेत्रों में, जहां ए.आई.संभव नहीं हैं, में पशुपालकों को दारिन्दा पद्धति पर उच्च गुणवत्ता वाले गाय एवं भैंसा साड़ों की आपूर्ति करना।
- **प्रशिक्षण कार्यक्रम** – पशुपालन व्यवसाय से जुड़े कृषकों, कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं, सरकारी व गैर सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों आदि को उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड के प्रशिक्षण केन्द्र अथवा अन्य ख्याति प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों से नवीनतम तकनीकों का प्रशिक्षण करवाना।
- **भ्रूण प्रत्यारोपण कार्यक्रम** – पशु प्रजनन फार्म कालसी में उपलब्ध रेड सिंधी नस्ल की गायों का भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक के माध्यम से संवर्द्धन करना।
- **फील्ड परफारमेन्स रिकार्डिंग कार्यक्रम** – पशुपालकों के उत्तम दुधारू पशुओं (गाय एवं भैंस) की सेंट्रल हर्ड रजिस्ट्रेशन योजना के अनुसार मिल्क रिकार्डिंग करना जिससे उनके क्रय – विक्रय में सुविधा प्रदान करके उन्हें लाभान्वित किया जा सके और उन्हें अपने पशु का समुचित मूल्य मिल सके। इसके

अतिरिक्त उत्तम दुधारू पशुओं (गाय एवं भैंसों) की पहचान करना तथा उनके जर्मप्लाजम का विस्तार (Propagation) करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है।

- **सूचना प्रबन्धन पद्धति (एम.आई.एस.)**— प्रदेश के कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को वितरित इनपुट्स एवं उनके द्वारा किये गये कार्यों सम्बन्धी आंकणों का प्रबन्धन, एम.आई.एस. साफ्टवेयर में टंकण तथा रिपोर्ट प्राप्त करना, विश्लेषण करना तथा रिपोर्ट को प्रेषित करना।
- **प्रोजनी टेरिंग प्रोग्राम**— इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य एवं देश में दूध की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति हेतु अगली पीढ़ी में सत्त उन्नत आनुवांशिक गौवंशीय संतति उत्पन्न करने हेतु उच्च आनुवांशिक गुणवत्ता के सांडों का उत्पादन करना है।

## 2.7 चारा विकास कार्यक्रम —

- भूसा तथा पुआल को पौष्टिक, सुपाच्य तथा परिवहन योग्य बनाने के लिये काम्पैक्ट फीड सप्लीमेन्ट ब्लाक का निर्माण कर वितरित करना।
- 2.5 कि.ग्रा. वजन की पशु चाटन (Urea- Molasses Brick) का निर्माण करना।
- प्रदेश में चारे की कमी को दूर करने के लिए राज्य में दो फाडर चारा बैंक—पशु प्रजनन फार्म कालसी, देहरादून एवं पशु आहार निर्माणशाला, रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर तथा पर्वतीय क्षेत्र में उप फाडर चारा बैंकों की स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है। दोनों फाडर चारा बैंकों द्वारा काम्पैक्ट फीड ब्लाक का निर्माण किया जा रहा है।

## 3 पशुधन बीमा योजना

भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से उत्तराखण्ड में पशुधन बीमा योजना का संचालन उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। प्रारम्भ में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में यह योजना राज्य के हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर जनपदों में संचालित थी। वर्तमान में यह योजना जनपद— देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर, चमोली एवं पिथौरागढ़ में संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य पशुओं की दुर्घटना, मृत्यु व अन्य अप्रत्याशित क्षति होने पर पशुपालकों को उससे होने वाली आर्थिक क्षति से बचाना एवं दुग्ध उत्पादन में बृद्धि के फलस्वरूप पशुपालकों की आय में बृद्धि करना जिससे उनका सामाजिक एवं आर्थिक स्तर समृद्धि हो। वर्ष 2015–16 से यह योजना पूरे राज्य में संचालित की जायेगी।


(National Livestock Mission–Risk Management & Insurance)

यह योजना उत्तराखण्ड राज्य के सभी जनपदों में संचालित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य पशुओं की दुर्घटना, मृत्यु व अन्य अप्रत्याशित क्षति होने पर पशुपालकों को उससे होने वाली अपूर्णीय क्षति से बचाना। एक पशुपालक के अधिकतम 5 बड़े पशुओं (दुधारू गाय / भैंस, पैक एनिमल यथा घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊट, टटू / अन्य पशुओं याक एवं मिथुन) अथवा 5 यूनिट छोटे पशुओं यथा—भेड़, बकरी, सुअर या खरगोश (एक यूनिट = 10 छोटे पशु) के बीमा का प्राविधान है। बीमा प्रीमियम में भारत सरकार / राज्य सरकार / लाभार्थी का अंशादान निम्नवत् है—

क्षेत्र	बीमा अवधि	एपीएल लाभार्थी के पशुओं के बीमा प्रीमियम में			बीपीएल / एससी / एसटी लाभार्थी के पशुओं के बीमा प्रीमियम में		
		लाभार्थी का अंशादान %	केन्द्रांश %	राज्यांश %	लाभार्थी का अंशादान %	केन्द्रांश %	राज्यांश %
सामान्य क्षेत्र	1 वर्ष	50	25	25	30	40	30
	3 वर्ष	50	25	25	30	40	30
पर्वतीय क्षेत्र	1 वर्ष	40	35	25	20	50	30
	3 वर्ष	40	35	25	20	50	30

## 3.3 लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों (शासन निदेशालय, क्षेत्र, जिला, ब्लाक आदि) पर संगठनात्मक ढांचा (जहां लागू हो)।

क. यू.एल.जी.बी. का राज्य स्तरीय संगठनात्मक ढांचा :



**ख.** जनपद स्तरीय ढांचा :



**3.4 लोक प्राधिकरण की कार्य दक्षता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाएं।**

- उत्तम पशु प्रबन्धन
- कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता को अपने पशुओं का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराना।
- पशु के गर्भ में आने का सही समय बताना।

**3.5 जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि/व्यवस्था ।**

- पशुपालक गोष्ठियों के माध्यम से जागरूकता/प्रशिक्षण देकर ।
- पशुपालकों की समस्याओं का कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं द्वारा शीघ्र निवारण करके ।

**3.6 जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था ।**

- ग्राम/न्याय पंचायत स्तर पर कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता द्वारा ।
- विकासखण्ड/पशुचिकित्सालय स्तर पर सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी द्वारा ।
- जनपद स्तर पर मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/जनपद प्रबन्धक, यूएलडीबी. द्वारा ।
- राज्य स्तर पर मुख्य अधिशासी एवं उनके सहकर्मी अधिकारियों द्वारा ।

**3.7 मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते (कृपया पतों का जनपदवार वर्गीकरण करें)।**

राज्य स्तरीय

यूएलडीबी. मुख्यालय	-	मुख्य अधिशासी अधिकारी, पशुधन भवन, प्रथम तल, मोथरोवाला रोड, पो030०० मोथरोवाला, देहरादून-248001
यूएलडीबी. प्रशिक्षण केन्द्र	-	प्राचार्य, यूएलडीबी. प्रशिक्षण केन्द्र, पशुलोक-ऋषिकेश (देहरादून)
यूएलडीबी. डी.एफ.एस. केन्द्र	-	अपर प्रबन्धक (डी.एफ.एस.) अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, ऋषिकेश-हरिद्वार मार्ग, श्यामपुर-ऋषिकेश (देहरादून)

यूएलडीबी. चारा बैंक	-	उप प्रबन्धक (पशुपोषण), लक्कड़घाट मार्ग, श्यामपुर-ऋषिकेश (देहरादून)
---------------------	---	--

पशु प्रजनन फार्म कालसी	-	अपर प्रबन्धक, पशु प्रजनन फार्म, कालसी, जनपद-देहरादून।
चारा बैंक कालसी	-	अपर प्रबन्धक, चारा बैंक, कालसी, जनपद-देहरादून।
यू.एल.डी.बी. भ्रूण प्रत्यारोपण केन्द्र	-	उप प्रबन्धक (ई.टी), भ्रूण प्रत्यारोपण केन्द्र, पशु प्रजनन फार्म कालसी (देहरादून)
यू.एल.डी.बी. सीमेन बैंक	-	उप प्रबन्धक, यू.एल.डी.बी. सीमेन बैंक, लालकुंआ बरेली मार्ग लालकुंआ (नैनीताल)

#### जनपद स्तरीय

राज्य के सभी जनपद	-	सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/जनपदीय प्रबन्धक, यू.एल.डी.बी., देहरादून/हरिद्वार/ठिहरी गढवाल/ उत्तरकाशी/पौड़ी/रुद्रप्रयाग/चमोली/ऊधमसिंहनगर/ नैनीताल/अल्मोड़ा/बागेश्वर/पिथौरागढ़/चम्पावत
-------------------	---	--

3.8 कार्यालय के खुलने का समय : प्रातः 10:00 बजे

कार्यालय बन्द होने का समय : अपराह्न 5:00 बजे

## मैनुअल 2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

- 3.1 अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियों एवं कर्तव्य का विवरण।

पद का नाम	मुख्य अधिशासी अधिकारी
-----------	-----------------------

<b>शक्तियां</b>	<b>प्रशासकीय</b>	यू.एल.डी.बी. के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ।
		संस्था के सदस्य / सचिव
		बोर्ड के विभागाध्यक्ष एवं स्वनियंत्रण अधिकारी
		बोर्ड के समस्त स्टाफ के प्रशासनिक नियंत्रक
<b>कर्तव्य</b>	<b>वित्तीय</b>	राज्य में पशुप्रजनन कार्य में लगी समस्त संस्थाओं / विभाग / एजेन्सियों के नियंत्रक एवं मार्ग दर्शक ।
	<b>अन्य</b>	बोर्ड के विभागाध्यक्ष एवं बजट नियंत्रक के रूप में वित्तीय स्वीकृताधिकारी
<b>पद का नाम</b>	<b>अपर प्रबन्धक (ए.आई.), यू.एल.डी.बी. मुख्यालय</b>	
<b>शक्तियां</b>	<b>प्रशासकीय</b>	यू.एल.डी.बी. द्वारा संचालित कृत्रिम गर्भाधान एवं नैसर्गिक अभिजनन कार्यक्रमों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कार्य सुनिश्चित करना । यू.एल.डी.बी. की विभिन्न कमेटियों की अध्यक्षता करना । यू.एल.डी.बी. की विभिन्न इकाइयों में अनुपयोगी सामान को निष्प्रयोज्य घोषित करने हेतु गठित कमेटी, श्यामपुर से सम्बद्ध चारा प्रक्षेत्र पर उत्पादित हो रहे चारे के विक्रय / निस्तारण हेतु गठित कमेटी तथा अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, के अनुपयोगी महिषवशीय सांड़ों की नीलामी हेतु गठित कमेटी की अध्यक्षता ।
	<b>वित्तीय</b>	कोई नहीं
	<b>अन्य</b>	कोई नहीं
<b>पद का नाम</b>	<b>उप प्रबन्धक, नैसर्गिक अभिजनन / पशुधन बीमा यू.एल.डी.बी. मुख्यालय</b>	
<b>शक्तियां</b>	<b>प्रशासकीय</b>	नैसर्गिक अभिजनन सांड़ों के उपार्जन तथा वितरण का समुचित प्रबन्धन, फील्ड में वितरित सांड़ों की परफॉर्मेन्स का अनुश्रवण एवं अनुसरण । सांड़ क्रय एवं प्रबन्धन के सम्बन्ध में बीमा कम्पनी से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य संपादन । पशुधन बीमा संबंधी समस्त कार्यों का सम्पादन एवं प्रबंधन ।
	<b>वित्तीय</b>	कोई नहीं
	<b>अन्य</b>	कोई नहीं
<b>कर्तव्य</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• कृत्रिम गर्भाधान से अनाच्छादित क्षेत्रों का विवरण प्राप्त कर नैसर्गिक अभिजनन हेतु सम्बन्धित विभागों, प्रगतिशील पशुपालकों तथा संस्थाओं से गाय / भैंसा सांड़ों की मांग प्राप्त करने सम्बन्धी पत्राचार, आपूर्ति, बीमा राशन आदि की समय पर व्यवस्था करना ।</li> <li>• वितरित सांड़ों के स्वास्थ्य एवं कार्य का अनुश्रवण करना ।</li> <li>• वितरित सांड़ों के कार्य की मासिक / त्रैमासिक / वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।</li> <li>• उत्तराखण्ड पशु प्रजनन नीति 2005 के अनुसार सांड़ों का वितरण एवं रोटेशनवार उनकी शिपिटंग का कार्य ।</li> <li>• राज्य के चयनित जनपदों में पशुधन बीमा योजना को समुचित रूप से कार्यान्वित करना एवं तत्संबंधी मासिक / त्रैमासिक / वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।</li> <li>• मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा दिये गए निर्देशों का पूर्ण रूप एवं समय से पालन करना ।</li> </ul>

पद का नाम	उप प्रबन्धक, (पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1), एम.आई.एस. / उपार्जन, यू.एल.डी.बी. मुख्यालय	
शक्तियां	प्रशासकीय	<p>यू.एल.डी.बी. मुख्यालय एवं इकाईयों से सम्बन्धित समस्त सामान, उपकरण, संयन्त्र एवं अन्य विविध सामग्री का नियमानुसार उपार्जन। कच्चा माल, बाग—बहार, पशुओं हेतु क्य होने वाले भूसे, तरल नत्रजन परिवहन व्यवस्था प्रविधिक रूप से नियमानुसार उपार्जन।</p> <p>कार्यों के कैटरिंग आदि कार्यों एवं अन्य सामग्री की अधिप्राप्ति हेतु समय से निविदाएं आमंत्रित कर, निविदा प्रक्रिया सम्पादित करवाना तथा उन्हें अन्तिम रूप देकर क्रयादेष जारी करना।</p> <p>यू.एल.डी.बी. मैनेजमेन्ट इनफोर्मेशन सिस्टम एवं इनफोर्मेशन टेक्नोलॉजी सम्बन्धी समस्त कार्यों का संपादन, संचालन, अनुश्रवण एवं अनुसरण।</p> <p>राज्य में पशु प्रजनन सम्बन्धी समस्त सूचनाओं का संग्रहण, संकलन एवं सूचनाओं का आदान—प्रदान तथा सम्प्रेषण।</p> <p>यू.एल.डी.बी. के प्रशिक्षण सम्बन्धी समस्त कार्यों का निर्वहन एवं संपादन।</p>
	वित्तीय	कोई नहीं
	अन्य	कोई नहीं
कर्तव्य		यू.एल.डी.बी. के एम.आई.एस. एवं आई.टी. से सम्बन्धित समस्त कार्यों का समय से सम्पादन।
पद का नाम	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1 / परियोजना समन्वयक (PT) NDP-I	
शक्तियां	प्रशासकीय	ऑपरेशन मैनेजर के आधार पर प्रोजेक्ट का संचालन करना, तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों का संचालन एवं मैनेजमेन्ट कमेटी के निर्देशानुसार सीमेन स्टेशन को सांडों का वितरण करना आदि।
	वित्तीय	कोई नहीं
	अन्य	कोई नहीं
कर्तव्य		प्रोजेक्ट से सम्बन्धित समस्त कार्य एंव दायित्वों का निर्वहन।

पद का नाम	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1 / क्षेत्रीय समन्वयक, (PT) NDP-I	
शक्तियां	प्रशासकीय	दिये गये जनपदों (देहरादून/हरिद्वार) में दिये गये समय की अवधि में सब प्रोजेक्ट के लक्ष्यों को प्राप्त करना एंव प्रोजेक्ट के समस्त कार्यों का निरीक्षण, पर्यवेक्षण एंव ए0आई कार्यकर्ताओं की समस्याओं को Grievances redressal Officer तक पहचाना।
	वित्तीय	कोई नहीं
	अन्य	कोई नहीं
कर्तव्य	प्रोजेक्ट से सम्बन्धित समस्त कार्य एंव दायित्वों का निर्वहन।	
पद का नाम	लेखाकार, यू.एल.डी.बी. मुख्यालय	

<b>शक्तियां</b>	<b>प्रशासकीय</b>	बजट की स्थिति देखना, व्यय विवरण तैयार करना, बैलेन्सशीट /वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर समय से प्रस्तुतिकरण, आडिट सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सम्पादन, आयकर/विक्रिय/व्यापार कर एवं अन्य करों से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यों का निष्पादन एवं तत्सम्बन्धी विभिन्न फार्मों की प्राप्ति एवं जारी कराना। विभिन्न योजनाओं में प्राप्त धनराशियों/अग्रिम धनराशियों/बजट आदि का लेखा रख—रखाव, समयोजन तथा सम्प्रेषण। बैंकों से खाता—मिलान एवं तत्सम्बन्धी समस्त कार्य। उपयोग विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार कर भारत सरकार/उत्तराखण्ड शासन व अन्य को भिजवाना। विभिन्न फार्मों स्थानों से प्राप्त एफ.डी.आर./सी.डी.आर./चेक/बैंक ड्राफ्ट आदि का सम्पूर्ण लेखा—जोखा रखना आदि। चेक तैयार कर जारी कराना।
	<b>वित्तीय</b>	कोई नहीं
	<b>अन्य</b>	कोई नहीं
<b>कर्तव्य</b>		लेखा से सम्बन्धित समस्त कार्यों का संचालन, संपादन, अनुश्रवण एवं अनुसरण, जिससे बोर्ड के लेखा कार्यों का संपादन सहजता से होता रहे।
<b>पद का नाम</b>	<b>स्थापना लिपिक/वरिष्ठ सहायक,/स्टोर कीपर/नाजिर यू.एल.डी.बी. मुख्यालय</b>	
<b>शक्तियां</b>	<b>प्रशासकीय</b>	बोर्ड के स्थापना से सम्बन्धित समस्त कार्यों का सम्पादन एवं निष्पादन, एवं तत्सम्बन्धी कार्यों को समय से संपादित कराना और तत्सम्बन्धी पत्रावलियों का समुचित रख—रखाव एवं प्रबन्धन। पत्र प्राप्ति, पत्र प्रेषण एवं डाक तैयार कर उसे भेजने/भिजवाने की समुचित व्यवस्था एवं प्रबन्धन तथा स्टोर से सम्बन्धित समस्त कार्यों का सम्पादन, संचालन एवं स्टोर का रख—रखाव, अंकन/प्रविष्टि तथा निर्गमन आदि से सम्बन्धित समस्त कार्यों का निष्पादन। अनुपयोगी/निष्प्रयोज्य सामानों, उपकरणों, संयंत्रों आदि का निस्तारण कराना।
	<b>वित्तीय</b>	कोई नहीं
	<b>अन्य</b>	कोई नहीं
<b>कर्तव्य</b>		स्थापना/स्टोर से सम्बन्धित समस्त प्रशासकीय कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन।

<b>पद का नाम</b>	<b>प्राचार्य/संयुक्त निदेशक, यू.एल.डी.बी. प्रशिक्षण केन्द्र, पश्चालोक—ऋषिकेश</b>	
<b>शक्तियां</b>	<b>प्रशासकीय</b>	प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देने सम्बन्धी कार्य, स्टोर प्रबन्धन का रख—रखाव, मेस प्रबन्धन, प्रशिक्षार्थियों का फील्ड भ्रमण, प्रशिक्षण वाहन का प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी उपकरणों का रख—रखाव, प्रशिक्षण भवनों का रख—रखाव, प्रमाण पत्र निर्माण/वितरण, प्रशिक्षार्थियों को आवश्यकतानुसार चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण फीडबैक प्राप्त करना, प्रशिक्षण केन्द्र परिसर तथा अतिथि कक्ष का रख—रखाव, प्रशिक्षण केन्द्र के लॉन आदि का रख—रखाव, पुस्तकालय प्रबन्धन, कॉमन रूम प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण सामग्री वितरण आदि।
	<b>वित्तीय</b>	कोई नहीं
	<b>अन्य</b>	कोई नहीं

<b>कर्तव्य</b>		प्रशिक्षण केन्द्र के सफल संचालन हेतु समस्त सम्बन्धित कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन, जिससे प्रशिक्षण केन्द्र सफलतापूर्वक कार्य कर सके।
<b>पद का नाम</b>	अपर प्रबन्धक / पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1 डी.एफ.एस., श्यामपुर (ऋषिकेश)	
<b>शक्तियां</b>	<b>प्रशासकीय</b>	डी.एफ.एस. श्यामपुर के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का नियंत्रण एवं उनसे कार्य सुनिश्चित करना।
	<b>वित्तीय</b>	कोई नहीं।
	<b>अन्य</b>	कोई नहीं।
<b>कर्तव्य</b>		डी.एफ.एस. श्यामपुर के दैनिक कार्यों का सम्पादन। उत्तराखण्ड पशु प्रजनन नीति 2005 के अनुसार कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर सांड़ों की नस्लवार / ब्लड प्रतिशतवार अतिहिमीकृत वीर्य का उत्पादन, तरल नत्रजन का उपार्जन तथा ए.आई.केन्द्रों को इनपुट्स उपलब्ध कराने की व्यवस्था एवं इस हेतु समय— समय पर अपेक्षित दिशा निर्देश देना देख—रेख तथा उनका अनुश्रवण एवं अनुसरण करना।
<b>पद का नाम</b>	उप प्रबन्धक / पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1 इनपुट वितरण, श्यामपुर—ऋषिकेश	
<b>शक्तियां</b>	<b>प्रशासकीय</b>	सेन्ट्रल सीमेन लैब श्यामपुर का संचालन, राज्य में ए.आई. सम्बन्धी इनपुट्स के प्रबन्धन, वितरण सम्बन्धी समस्त कार्यों का संपादन, संचालन, अनुश्रवण तथा अनुसरण, जिससे तरल नत्रजन आदि की निरन्तर अनवरत सप्लाई निश्चित अंतराल पर होती रहे। चारा बैंक, का संचालन, कच्चा माल प्रबन्धन, संयंत्र संचालन एवं निर्माण प्रक्रिया संपादन तथा डी.एफ.एस., श्यामपुर में सांड़ों हेतु चारा उत्पादन का सम्पूर्ण देख—रेख और श्यामपुर के सेन्टर ऑफ चारा एक्सीलेन्स से सम्बन्धित समस्त कार्य संपादन। इसके अतिरिक्त अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, श्यामपुर परिसर में स्थापित समस्त आवासीय / अनावासीय भवनों / परिस्मृतियों का रख—रखाव / मैन्टेनेंस का कार्य सम्पादित करना।
	<b>वित्तीय</b>	कोई नहीं।
	<b>अन्य</b>	कोई नहीं।
<b>कर्तव्य</b>		राज्य के सभी ए.आई.केन्द्रों, पैरावेट्स आदि को उत्तराखण्ड पशु प्रजनन नीति 2005 के अनुसार अतिहिमीकृत वीर्य, तरल नत्रजन एवं तत्सम्बन्धी उपकरणों स्टेशनरी एवं अन्य इनपुट्स को समय से वितरण तथा चारा बैंक तथा डी.एफ.एस., श्यामपुर के चारा क्षेत्र परिसर में चारा उत्पादन सम्बन्धी कार्यकलापों का सफल

<b>पद का नाम</b>	उप प्रबन्धक / पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1 (डी.एफ.एस.प्रयोगशाला), श्यामपुर—ऋषिकेश	
<b>शक्तियां</b>	<b>प्रशासकीय</b>	ISO 9001 : 2015 एवं HACCP (Hazard Analysis at Critical Point) के मानकों एवं दिशा निर्देशानुसार प्रयोगशाला का प्रबन्धन, रख—रखाव एवं MSP मानक के अनुसार अतिहिमीकृत वीर्य का उत्पादन कर वितरण हेतु उपलब्ध कराना।
	<b>वित्तीय</b>	कोई नहीं।
	<b>अन्य</b>	कोई नहीं।
<b>कर्तव्य</b>		ISO 9001 : 2015 एवं MSP मानकों के अनुसार डी.एफ.एस. का कार्य संचालन।
<b>पद का नाम</b>	पशुधन प्रसार (इनपुट वितरण) अधिकारी, डी.एफ.एस., श्यामपुर	

<b>शक्तियां</b>	<b>प्रशासकीय</b>	सीमेन बैंक, श्यामपुर से गढ़वाल मण्डल में अतिहिमीकृत वीर्य, तरल नत्रजन एवं अन्य ए.आई.इनपुट्स के वितरण का निर्धारित चक्रों के अनुसार कार्य सम्पादित कराना।
	<b>वित्तीय</b>	कोई नहीं
	<b>अन्य</b>	कोई नहीं
<b>कर्तव्य</b>		गढ़वाल मण्डल के सभी ए.आई.कैन्ड्रों, पैरावेट्स आदि को अतिहिमीकृत वीर्य, तरल नत्रजन एवं तत्सम्बन्धी उपकरणों स्टेशनरी एवं अन्य इनपुट्स को समय से वितरित करना।
<b>पद का नाम</b>	<b>पशुधन प्रसार (प्रयोगशाला)</b>	अधिकारी, डी.एफ.एस., श्यामपुर
<b>शक्तियां</b>	<b>प्रशासकीय</b>	श्यामपुर स्थित प्रयोगशाला में सीमेन कलेक्शन का कार्य तथा उत्पादित अतिहिमीकृत वीर्य के वितरण / विपणन की समुचित व्यवस्था कराना।
	<b>वित्तीय</b>	कोई नहीं
	<b>अन्य</b>	कोई नहीं
<b>कर्तव्य</b>		श्यामपुर स्थित प्रयोगशाला सम्बन्धी कार्यों का निर्वहन।
<b>पद का नाम</b>	<b>पशुधन प्रसार (पशु प्रबन्धन)</b>	अधिकारी, डी.एफ.एस., श्यामपुर
<b>शक्तियां</b>	<b>प्रशासकीय</b>	अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र श्यामपुर में कार्यरत सांडों का समुचित प्रबन्धन / रख—रखाव सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन।
	<b>वित्तीय</b>	कोई नहीं
	<b>अन्य</b>	कोई नहीं
<b>कर्तव्य</b>		अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र श्यामपुर में कार्यरत सांडों का सम्बन्धी कार्यों का निर्वहन।
<b>पद का नाम</b>	<b>ट्रैक्टर/वाहन चालक, डी.एफ.एस. श्यामपुर</b>	
<b>शक्तियां</b>	<b>प्रशासकीय</b>	अपने चार्ज के सम्बन्धित वाहन का समुचित रख—रखाव, चालन/ संचालन तथा आवश्यकतानुसार यथोचित कार्यों का सम्पादन।
	<b>वित्तीय</b>	कोई नहीं
	<b>अन्य</b>	कोई नहीं
<b>कर्तव्य</b>		सम्बन्धित वाहन का चालन/संचालन एवं उसके रख—रखाव एवं उससे सम्पादित होने वाले समस्त कार्यों का सम्पादन एवं निष्पादन।

<b>पद का नाम</b>	<b>अपर प्रबन्धक/परियोजना निदेशक कालसी, पशुप्रजनन फार्म, कालसी</b>
------------------	---

<b>शक्तियां</b>	<b>प्रशासकीय</b>	<p>पशुप्रजनन फार्म कालसी का सामान्य प्रशासन, देख—रेख एवं नियंत्रण, राजकीय स्टाफ (समूह ग एवं घ) के अधिष्ठान सम्बन्धी, समस्त कार्य सम्पादन।</p> <p>फार्म के कृषि/डेरी अनुभाग के सम्पूर्ण कार्यों का सम्पादन एवं चारा उत्पादन कार्यक्रम निर्माण एवं उसे कार्यरूप देना, डेरी अनुभाग तक चारा पहुंचवाना, बाग—बहार का समुचित रख—रखाव, डेरी अनुभाग से खेत तक खाद एवं अन्य सामान का ढुलान कराना एवं खेतों में डलवाना / मिलवाना। कृषि अनुभाग सम्बन्धी समस्त अभिलेखों का रख—रखाव, ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यंत्रों/उपकरणों का सम्यक रख—रखाव।</p> <p>2. पशु प्रजनन फार्म, कालसी स्थित चारा बैंक के प्रभारी के रूप में उसके कार्यान्वयन, संचालन, देखरेख एवं प्लान्ट ऑपरेशन्स आदि का पूर्ण उत्तरदायित्व। निर्मित/उत्पादित हो रहे कॉम्पैक्ट फीड ब्लाक के वितरण/विपणन की समुचित व्यवस्था कराना। इसके अतिरिक्त पशु प्रजनन फार्म कालसी परिसर में स्थापित समस्त आवासीय / अनावासीय भवनों/परिसम्पत्तियों का रख—रखाव/ मैन्टेनेंस का कार्य सम्पादित करना।</p>
	<b>वित्तीय</b>	पशु प्रजनन फार्म के राजकीय बजट का नियमानुसार व्यय करना तथा अधिष्ठान के वेतन एवं भत्ते आदि का संवितरण, अधीनस्थ कर्मचारियों को तीन माह के वेतन के बराबर तक की धनराशि जी०पी०एफ० लेखा से स्वीकृत करने का अधिकार।
	<b>अन्य</b>	01 वर्ष से कम उम्र के वर्त्सों को निस्तारण करने का अधिकार
<b>कर्तव्य</b>		<p>प्रक्षेत्र के सभी कार्यों के संचालन/संपादन सम्बन्धी दायित्व, डेरी तथा कृषि अनुभागों के कार्यकलापों का समुचित प्रबन्धन, अधीनस्थ स्टाफ से कार्य लेना, उनके कार्यों का अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा अनुसरण। निष्प्रयोज्य सामानों का निस्तारण कराना एवं अनार्थिक पशुओं के विचयन (Culling) की कार्यवाही।</p> <p>फार्म के कृषि अनुभाग के सम्पूर्ण कार्यकलापों का समयानुसार कार्यान्वयन, संचालन एवं निष्पादन।</p>
<b>पद का नाम</b>	<b>पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, पशु प्रजनन फार्म कालसी</b>	
<b>शक्तियां</b>	<b>प्रशासकीय</b>	पशु प्रजनन फार्म कालसी स्थित भूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला का संचालन एवं ई.टी. से सम्बन्धित प्रशिक्षण सम्पादित करवाना तथा नेशनल डेरी प्लान के अन्तर्गत संचालित परियोजना के समस्त कार्यों का क्रियान्वयन/अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निरीक्षण। इसके अतिरिक्त उच्चाधिकारियों द्वारा समय—समय पर दिये गये अन्य कार्यों का सम्पादन करना।
	<b>वित्तीय</b>	कोई नहीं
	<b>अन्य</b>	कोई नहीं
<b>कर्तव्य</b>		प्रोजेक्ट/ई.टी. से सम्बन्धित समस्त कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन।

<b>पद का नाम</b>	<b>उप प्रबन्धक पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-2 (प्रशिक्षण), प्रशिक्षण केन्द्र, कालसी</b>
------------------	--

<b>शक्तियां</b>	<b>प्रशासकीय</b>	प्रशिक्षण केन्द्र के प्रभारी के रूप में प्रशिक्षण सम्बन्धी समस्त कार्यों का सम्पादन, फार्म के पशुओं की देख—रेख, उपचार, अनार्थिक पशुओं का निस्तारण कराना, सामयिक दुहान, चारा—दाना व्यवस्था, दूध का विपणन, पशुओं के उपचार हेतु दवाओं की मांग, डेयरी सम्बन्धी योजनाएं/परियोजनाएं बनाना एवं प्रस्तुत करना।
	<b>वित्तीय</b>	कोई नहीं
	<b>अन्य</b>	कोई नहीं
<b>कर्तव्य</b>		पशु प्रजनन फार्म प्रशिक्षण केन्द्र, कालसी का सम्पूर्ण कार्यों का सम्पादन, प्रशिक्षणादि की व्यवस्था, उनका कार्यान्वयन तथा संचालन।
<b>पद का नाम</b>	<b>पशुधन प्रसार अधिकारी (डेरी), कालसी, पशुप्रजनन फार्म, कालसी</b>	
<b>शक्तियां</b>	<b>प्रशासकीय</b>	डेरी अनुभाग सम्बन्धी समस्त कार्य सम्पादन, पशुचिकित्सक के अनुसार पशुओं का उपचार प्रबन्धन, दुहान कार्य सम्पादन, पशुओं का टीकाकरण, भूसा—दाना पंजिकाओं का रख—रखाव, डेयरी अनुभाग सम्बन्धी एम०पी०आर० व अन्य सूचनाएं समय से देना व समस्त अभिलेखों को नियमित रूप से पूर्ण करना तथा डेयरी अनुभाग सम्बन्धी अन्य / विविधी कार्यों का सम्पादन / संचालन / क्रियान्वयन।
	<b>वित्तीय</b>	कोई नहीं
	<b>अन्य</b>	कोई नहीं
<b>कर्तव्य</b>		फार्म के डेरी अनुभाग सम्बन्धी समस्त कार्यों को समय से गुणवत्ता व हाईजीन के अनुसार सम्पादित करने / कराने का कार्य।
<b>पद का नाम</b>	<b>ट्रैक्टर/ जीप चालक, पशुप्रजनन फार्म, कालसी</b>	
<b>शक्तियां</b>	<b>प्रशासकीय</b>	अपने चार्ज के सम्बन्धित वाहन का समुचित रख—रखाव, चालन / संचालन तथा आवश्यकतानुसार यथोचित कार्यों का सम्पादन।
	<b>वित्तीय</b>	कोई नहीं
	<b>अन्य</b>	कोई नहीं
<b>कर्तव्य</b>		सम्बन्धित वाहन का चालन / संचालन एवं उसके रख—रखाव एवं उससे सम्पादित होने वाले समस्त कार्यों का सम्पादन एवं निष्पादन।
<b>पद का नाम</b>	<b>सहायक लेखाकार, पशुप्रजनन फार्म, कालसी</b>	
<b>शक्तियां</b>	<b>प्रशासकीय</b>	फार्म के लेखा से सम्बन्धित समस्त कार्यों का संपादन एवं निष्पादन, फार्म हेतु बजट की मांग, समस्त आडिट सम्बन्धी कार्य, बिल / कैश बुक का पारण / रख—रखाव / अंकन, अनुभागीय वित्तीय अभिलेखों की जांच / छान बीन, मासिक आय / व्यय विवरण बनाना एवं प्रेषण, ट्रायल बैलेन्स, बैलेन्सशीट एवं अन्य वार्षिक अभिलेखों को समय से तैयार करना एवं उनका रख—रखाव तथा प्रस्तुतीकरण।
	<b>वित्तीय</b>	कोई नहीं
	<b>अन्य</b>	कोई नहीं
<b>कर्तव्य</b>		लेखा से सम्बन्धित समस्त कार्यों का समय से सम्पादन, निष्पादन एवं वित्तीय कार्यकलापों का कार्यान्वयन कराना।
<b>पद का नाम</b>	<b>वरिष्ठ सहायक, पशु प्रजनन फार्म, कालसी</b>	
<b>शक्तियां</b>	<b>प्रशासकीय</b>	स्थापना सम्बन्धी समस्त कार्यों का संपादन, व्यक्तिगत पत्रावलियों, जी०पी०एफ० लेखों / पास बुकों का रख—रखाव तथा तत्सम्बन्धी समस्त कार्यों का सम्पादन।
	<b>वित्तीय</b>	कोई नहीं
	<b>अन्य</b>	कोई नहीं
<b>कर्तव्य</b>		स्थापना / अधिष्ठान से सम्बन्धित समस्त कार्यों के समय से सम्पादन का दायित्व।

<b>पद का नाम</b>	<b>वरिष्ठ सहायक, पशु प्रजनन फार्म, कालसी</b>	
<b>शक्तियां</b>	<b>प्रशासकीय</b>	नियोजन सम्बन्धी समस्त कार्य एवं मासिक / त्रैमासिक / वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन एवं अन्य सूचनाओं का संकलन / प्रेषण।
	<b>वित्तीय</b>	कोई नहीं

	<b>अन्य</b>	कोई नहीं
<b>कर्तव्य</b>		नियोजन से सम्बन्धित समस्त कार्यों के समय से सम्पादन का दायित्व।
<b>पद का नाम</b>	<b>कनिष्ठ सहायक, पशु प्रजनन फार्म, कालसी</b>	
<b>शक्तियां</b>	<b>प्रशासकीय</b>	डाक प्राप्ति / प्रेषण कार्य, एस.पी.एस, लेखा रख—रखाव, पटल सम्बन्धी अभिलेखों का सम्यक रख—रखाव, एम०पी०आर० व अन्य सूचनाएं समय पर देना व प्रेषित करना।
	<b>वित्तीय</b>	कोई नहीं
	<b>अन्य</b>	कोई नहीं
<b>कर्तव्य</b>		डाक प्राप्ति / प्रेषण सम्बन्धी समस्त कार्यों का सम्पादन।
<b>पद का नाम</b>	<b>कनिष्ठ सहायक, पशु प्रजनन फार्म, कालसी</b>	
<b>शक्तियां</b>	<b>प्रशासकीय</b>	स्टोर / नजारत से सम्बन्धित समस्त कार्य।
	<b>वित्तीय</b>	कोई नहीं
	<b>अन्य</b>	कोई नहीं
<b>कर्तव्य</b>		स्टोर / नजारत का कार्य सम्पादन तथा अधिष्ठान सम्बन्धी कार्यों में सक्रिय सहयोग सम्बन्धी दायित्व।
<b>पद का नाम</b>	<b>उप प्रबन्धक, सीमेन बैंक, लालकुआ (नैनीताल)</b>	
<b>शक्तियां</b>	<b>प्रशासकीय</b>	सीमेन बैंक, लालकुआं का सम्पूर्ण प्रबन्धन सम्बन्धी कार्य एवं कुमायूं मण्डल में अतिहिमीकृत वीर्य, तरल नत्रजन एवं अन्य ए.आई. इनपुट्स के वितरण सम्बन्धी समस्त कार्यों का संपादन, संचालन, अनुश्रवण तथा अनुसरण, जिससे तरल नत्रजन आदि की निरन्तर अन्वरत सप्लाई निश्चित अंतराल पर होती रहे।
	<b>वित्तीय</b>	कोई नहीं
	<b>अन्य</b>	कोई नहीं
<b>कर्तव्य</b>		कुमायूं मण्डल के सभी ए.आई. केन्द्रों, पैरावेट्स आदि को अतिहिमीकृत वीर्य, तरल नत्रजन एवं तत्सम्बन्धी उपकरणों स्टेशनरी एवं अन्य इनपुट्स को समय से वितरित करना एवं सीमेन बैंक, लालकुआं का प्रबन्धन।
<b>पद का नाम</b>	<b>पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1/जनपदीय/क्षेत्रीय समन्वयक, (PT) NDP-I</b>	
<b>शक्तियां</b>	<b>प्रशासकीय</b>	दिये गये जनपदों (नैनीताल / ऊधमसिंहनगर) में दिये गये समय की अवधि में सब प्रोजेक्ट के लक्ष्यों को प्राप्त करना एवं प्रोजेक्ट के समस्त कार्यों का निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं ए०आई कार्यकर्ताओं की समस्याओं को Grievances redressal Officer तक पहुचाना।
	<b>वित्तीय</b>	कोई नहीं
	<b>अन्य</b>	कोई नहीं
<b>कर्तव्य</b>		प्रोजेक्ट से सम्बन्धित समस्त कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन।

<b>पद का नाम</b>	<b>परियोजना निदेशक, विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भरारीसैण, चमोली</b>
------------------	--

<b>शक्तियां</b>	<b>प्रशासकीय</b>	विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भरारीसैण, चमोली का सामान्य प्रशासन, देख-रेख एवं नियंत्रण, राजकीय स्टाफ (समूह ग एवं घ) के अधिष्ठान सम्बन्धी, समस्त कार्य सम्पादन। फार्म के कृषि अनुभाग के सम्पूर्ण कार्यों का सम्पादन एवं संचालन। डेरी अनुभाग के अनुसार चारा उत्पादन करना तथा इस हेतु चारा उत्पादन कार्यक्रम निर्माण एवं उसे कार्यरूप देना, डेरी अनुभाग तक चारा पहुंचवाना, डेरी अनुभाग से खेत तक खाद एवं अन्य सामान का ढुलान कराना एवं खेतों में डलवाना/मिलवाना। कृषि अनुभाग सम्बन्धी समस्त अभिलेखों का रख-रखाव, ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यंत्रों/उपकरणों का सम्यक रख-रखाव।
	<b>वित्तीय</b>	विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भरारीसैण, चमोली के राजकीय बजट के अन्तर्गत ₹500.00 तक की स्वीकृति का अधिकार, अधिष्ठान के वेतन एवं भत्ते आदि का संवितरण, ₹500.00 तक निष्प्रयोज्य सामानों का निस्तारण तथा अधीनस्थ कर्मचारियों को तीन माह के वेतन के बराबर तक की धनराशि जी0पी0एफ० लेखा से स्वीकृत करने का अधिकार।
	<b>अन्य</b>	01 वर्ष से कम उम्र के वत्सों को निस्तारण करने का अधिकार
<b>कर्तव्य</b>		विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भरारीसैण, चमोली के सभी कार्यों के संचालन/संपादन सम्बन्धी दायित्व, डेरी तथा कृषि अनुभागों के कार्यकलापों का समुचित प्रबन्धन, अधीनस्थ स्टाफ से कार्य लेना, उनके कार्यों का अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा अनुसरण। निष्प्रयोज्य सामानों का निस्तारण कराना एवं अनार्थिक पशुओं के विचयन (Culling) की कार्यवाही। फार्म के कृषि अनुभाग के सम्पूर्ण कार्यकलापों का समयानुसार कार्यान्वयन, संचालन एवं निष्पादन।
<b>पद का नाम</b>	<b>पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-2 विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भरारीसैण, चमोली</b>	
<b>शक्तियां</b>	<b>प्रशासकीय</b>	फार्म के डेरी अनुभाग के कार्यकलापों का समय से सम्पादन, संचालन व निष्पादन। फार्म के पशुओं की देख-रेख, उपचार, अनार्थिक पशुओं का निस्तारण कराना, सामयिक दुहान, चारा-दाना व्यवस्था, दूध का विपणन, पशुओं के उपचार हेतु दवाओं की मांग, डेरी सम्बन्धी योजनाएं/परियोजनाएं बनाना एवं प्रस्तुत करना।
	<b>वित्तीय</b>	कोई नहीं
	<b>अन्य</b>	कोई नहीं
<b>कर्तव्य</b>		फार्म के डेरी अनुभाग के सम्पूर्ण कार्यों का सम्पादन।
<b>पद का नाम</b>	<b>पशुधन प्रसार अधिकारी (डेरी), भरारीसैण, विदेशी पशुप्रजनन प्रक्षेत्र, भरारीसैण</b>	
<b>शक्तियां</b>	<b>प्रशासकीय</b>	डेरी अनुभाग सम्बन्धी समस्त कार्य सम्पादन, पशुचिकित्सक के अनुसार पशुओं का उपचार प्रबन्धन, दुहान कार्य सम्पादन, पशुओं का टीकाकरण, भूसा-दाना पंजिकाओं का रख-रखाव, डेरी अनुभाग सम्बन्धी एम०पी०आर० व अन्य सूचनाएं समय से देना व समस्त अभिलेखों को नियमित रूप से पूर्ण करना तथा डेरी अनुभाग सम्बन्धी अन्य/विविधी कार्यों का सम्पादन/संचालन/ क्रियान्वयन।
	<b>वित्तीय</b>	कोई नहीं
	<b>अन्य</b>	कोई नहीं
<b>कर्तव्य</b>		फार्म के डेरी अनुभाग सम्बन्धी समस्त कार्यों को समय से गुणवत्ता व हाईजीन के अनुसार सम्पादित करने/कराने का कार्य।
<b>पद का नाम</b>	<b>ट्रैक्टर/जीप चालक, विदेशी पशु प्रजनन फार्म, भरारीसैण</b>	

<b>शक्तियां</b>	<b>प्रशासकीय</b>	अपने चार्ज के सम्बन्धित वाहन का समुचित रख—रखाव, चालन/संचालन तथा आवश्यकतानुसार यथोचित कार्यों का सम्पादन ।
	<b>वित्तीय</b>	कोई नहीं
	<b>अन्य</b>	कोई नहीं
<b>कर्तव्य</b>		सम्बन्धित वाहन का चालन/संचालन एवं उसके रख—रखाव एवं उससे सम्पादित होने वाले समस्त कार्यों का सम्पादन एवं निष्पादन ।
<b>पद का नाम</b>	<b>लेखाकार, विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भरारीसैण, चमोली</b>	
<b>शक्तियां</b>	<b>प्रशासकीय</b>	फार्म के लेखा से सम्बन्धित समस्त कार्यों का संपादन एवं निष्पादन, फार्म हेतु बजट की मांग, समस्त आडिट सम्बन्धी कार्य, बिल/कैश बुक का पारण/रख—रखाव/अंकन, अनुभागीय वित्तीय अभिलेखों की जांच/छान बीन, मासिक आय/व्यय विवरण बनाना एवं प्रेषण, ट्रायल बैलेन्स, बैलेन्सशीट एवं अन्य वार्षिक अभिलेखों को समय से तैयार करना एवं उनका रख—रखाव तथा प्रस्तुतीकरण ।
	<b>वित्तीय</b>	कोई नहीं
	<b>अन्य</b>	कोई नहीं
<b>कर्तव्य</b>		लेखा से सम्बन्धित समस्त कार्यों का समय से सम्पादन, निष्पादन एवं वित्तीय कार्यकलापों का कार्यान्वयन कराना ।
<b>पद का नाम</b>	<b>कनिष्ठ सहायक, विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भरारीसैण, चमोली</b>	
<b>शक्तियां</b>	<b>प्रशासकीय</b>	डाक प्राप्ति/प्रेषण कार्य, एस.पी.एस, लेखा रख—रखाव, पटल सम्बन्धी अभिलेखों का सम्यक रख—रखाव, एम०पी०आर० व अन्य सूचनाएं समय पर देना व प्रेषित करना ।
	<b>वित्तीय</b>	कोई नहीं
	<b>अन्य</b>	कोई नहीं
<b>कर्तव्य</b>		डाक प्राप्ति/प्रेषण सम्बन्धी समस्त कार्यों का सम्पादन ।
<b>पद का नाम</b>	<b>कनिष्ठ सहायक, विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भरारीसैण, चमोली</b>	
<b>शक्तियां</b>	<b>प्रशासकीय</b>	स्टोर/नजारत से सम्बन्धित समस्त कार्य ।
	<b>वित्तीय</b>	कोई नहीं
	<b>अन्य</b>	कोई नहीं
<b>कर्तव्य</b>		स्टोर/नजारत का कार्य सम्पादन तथा अधिष्ठान सम्बन्धी कार्यों में सक्रिय सहयोग सम्बन्धी दायित्व ।

<b>पद का नाम</b>	<b>परियोजना निदेशक, राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र नरियालगांव, चम्पावत</b>
------------------	--

<b>शक्तियां</b>	<b>प्रशासकीय</b>	राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र नरियालगांव, चम्पावत का सामान्य प्रशासन, देख—रेख एवं नियंत्रण, राजकीय स्टाफ (समूह ग एवं घ) के अधिष्ठान सम्बन्धी, समस्त कार्य सम्पादन। फार्म के कृषि अनुभाग के सम्पूर्ण कार्यों का सम्पादन एवं संचालन। डेरी अनुभाग के अनुसार चारा उत्पादन करना तथा इस हेतु चारा उत्पादन कार्यक्रम निर्माण एवं उसे कार्यरूप देना, डेरी अनुभाग तक चारा पहुंचवाना, डेयरी अनुभाग से खेत तक खाद एवं अन्य सामान का ढुलान कराना एवं खेतों में डलवाना/मिलवाना। कृषि अनुभाग सम्बन्धी समस्त अभिलेखों का रख—रखाव, ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यंत्रों/उपकरणों का सम्यक रख—रखाव।
	<b>वित्तीय</b>	राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र नरियालगांव, चम्पावत के राजकीय बजट के अन्तर्गत ₹500.00 तक की स्वीकृति का अधिकार, अधिष्ठान के वेतन एवं भत्ते आदि का संवितरण, ₹500.00 तक निष्प्रयोज्य सामानों का निस्तारण तथा अधीनस्थ कर्मचारियों को तीन माह के वेतन के बराबर तक की धनराशि जी0पी0एफ० लेखा से स्वीकृत करने का अधिकार।
	<b>अन्य</b>	01 वर्ष से कम उम्र के वत्सों को निस्तारण करने का अधिकार
<b>कर्तव्य</b>		राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र नरियालगांव, चम्पावत के सभी कार्यों के संचालन/संपादन सम्बन्धी दायित्व, डेयरी तथा कृषि अनुभागों के कार्यकलापों का समुचित प्रबन्धन, अधीनस्थ स्टाफ से कार्य लेना, उनके कार्यों का अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा अनुसरण। निष्प्रयोज्य सामानों का निस्तारण कराना एवं अनार्थिक पशुओं के विचयन (Culling) की कार्यवाही। फार्म के कृषि अनुभाग के सम्पूर्ण कार्यकलापों का समयानुसार कार्यान्वयन, संचालन एवं निष्पादन।
<b>पद का नाम</b>	<b>पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-2 राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र नरियालगांव, चम्पावत</b>	
<b>शक्तियां</b>	<b>प्रशासकीय</b>	फार्म के डेरी अनुभाग के कार्यकलापों का समय से सम्पादन, संचालन व निष्पादन। फार्म के पशुओं की देख—रेख, उपचार, अनार्थिक पशुओं का निस्तारण कराना, सामयिक दुहान, चारा—दाना व्यवस्था, दूध का विपणन, पशुओं के उपचार हेतु दवाओं की मांग, डेयरी सम्बन्धी योजनाएं/परियोजनाएं बनाना एवं प्रस्तुत करना।
	<b>वित्तीय</b>	कोई नहीं
	<b>अन्य</b>	कोई नहीं
<b>कर्तव्य</b>		फार्म के डेरी अनुभाग के सम्पूर्ण कार्यों का सम्पादन।
<b>पद का नाम</b>	<b>पशुधन प्रसार अधिकारी (डेरी), राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र नरियालगांव, चम्पावत</b>	
<b>शक्तियां</b>	<b>प्रशासकीय</b>	डेयरी अनुभाग सम्बन्धी समस्त कार्य सम्पादन, पशुचिकित्सक के अनुसार पशुओं का उपचार प्रबन्धन, दुहान कार्य सम्पादन, पशुओं का टीकाकरण, भूसा—दाना पंजिकाओं का रख—रखाव, डेयरी अनुभाग सम्बन्धी एम०पी०आर० व अन्य सूचनाएं समय से देना व समस्त अभिलेखों को नियमित रूप से पूर्ण करना तथा डेयरी अनुभाग सम्बन्धी अन्य/विविधी कार्यों का सम्पादन/संचालन/ क्रियान्वयन।
	<b>वित्तीय</b>	कोई नहीं
	<b>अन्य</b>	कोई नहीं
<b>कर्तव्य</b>		फार्म के डेयरी अनुभाग सम्बन्धी समस्त कार्यों को समय से गुणवत्ता व हाईजीन के अनुसार सम्पादित करने/कराने का कार्य।
<b>पद का नाम</b>	<b>मुख्य सहायक, राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र नरियालगांव, चम्पावत</b>	

<b>शक्तियां</b>	<b>प्रशासकीय</b>	फार्म के लेखा से सम्बन्धित समस्त कार्यों का संपादन एवं निष्पादन, फार्म हेतु बजट की मांग, समस्त आडिट सम्बन्धी कार्य, बिल /कैश बुक का पारण /रख—रखाव /अंकन, अनुभागीय वित्तीय अभिलेखों की जांच/छान बीन, मासिक आय /व्यय विवरण बनाना एवं प्रेषण, ट्रायल बैलेन्स, बैलेन्सशीट एवं अन्य वार्षिक अभिलेखों को समय से तैयार करना एवं उनका रख—रखाव तथा प्रस्तुतिकरण ।
	<b>वित्तीय</b>	कोई नहीं
	<b>अन्य</b>	कोई नहीं
<b>कर्तव्य</b>		लेखा से सम्बन्धित समस्त कार्यों का समय से सम्पादन, निष्पादन एवं वित्तीय कार्यकलापों का कार्यान्वयन कराना ।
<b>पद का नाम</b>	<b>वरिष्ठ सहायक, राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र नियालगांव, चम्पावत</b>	
<b>शक्तियां</b>	<b>प्रशासकीय</b>	डाक प्राप्ति /प्रेषण कार्य, एस.पी.एस, लेखा रख—रखाव, पटल सम्बन्धी अभिलेखों का सम्यक रख—रखाव, एम०पी०आर० व अन्य सूचनाएं समय पर देना व प्रेषित करना । स्टोर /नजारत से सम्बन्धित समस्त कार्य । स्टोर /नजारत का कार्य सम्पादन तथा अधिष्ठान सम्बन्धी कार्यों में सक्रिय सहयोग सम्बन्धी दायित्व ।
	<b>वित्तीय</b>	कोई नहीं
	<b>अन्य</b>	कोई नहीं
<b>कर्तव्य</b>		डाक प्राप्ति /प्रेषण सम्बन्धी समस्त कार्यों का सम्पादन ।

## मैनुअल 3

कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

4.1 लोक प्राधिकरण अथवा उसके प्राधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूची \*







83	यू.एल.डी.बी. द्वारा वितरित सांडों की आवश्यकतानुसार रिटैगिंग करने सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 31 दिसम्बर 04
84	एफ.पी.आर. हेतु संशोधित मानदेय निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश 03 जनवरी 05
85	राजकीय पशु प्रजनन एंव दुग्धशाला प्रक्षेत्र कालसी, यू.एल.डी.बी. को हस्तान्तरित करने किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 02 अप्रैल 05
86	कालसी फार्म का नाम तथा उसमें कार्यरत स्टाफ के पदनाम परिवर्तन से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 07 अप्रैल 05
87	पशु प्रजनन फार्म, कालसी की भूमि का डिमार्केशन कराये जाने सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल 05
88	उत्तराखण्ड पशुधन प्रजनन नीति 2005 को राज्य में लागू किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 26 मई 05
89	यू.एल.डी.बी. तथा उसकी विभिन्न इकाईयों में अनुपयोगी सामान को निष्प्रयोज्य घोषित करने तथा उसके निस्तारण / नीलामी / विक्रय आदि कार्य संपादन हेतु गठित कमेटी सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 15 जून 05
90	यू.एल.डी.बी. के बोर्ड में विभिन्न स्तर से प्रतिनिधियों के नामांकन सम्बन्धी 02 शासनादेश दिनांक 29 जून 05
91	विभागीय योजनाओं / कार्यक्रमों के लिये नोडल अधिकारी नामित किये जाने सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 18 जुलाई 05
92	राज्य में गौवंशीय पशुओं के निस्तारण हेतु शासनादेश संख्या 1889 / XV-1 / 14 / 7(9) / 13 दिनांक 16 जनवरी, 2014
92	अतिहिमीकृत वीर्य स्ट्रा / कृत्रिम गर्भाधान सेवा शुल्क की दरों को पुनरीक्षित किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या 620 / XV-1 / 14 / 7(81) / 05 दिनांक 24 जून, 2014
93	विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भारारीस, चमोली का यू.एल.डी.बी. को हस्तान्तरण सम्बन्धी शासनादेश संख्या 55 / XV-1 / 7(35) / 09 दिनांक 05 मार्च, 2014

## मैनुअल 4

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधियों से परामर्श के लिए बनाई गई व्यवस्था का विवरण

### नीति निर्धारण हेतु

- 5.1 लोक प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारण के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधियों के परामर्श / भागीदारी का प्राविधान।
- 5.2

क्र.सं.	विषय / कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है ? (हाँ / नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु की गई व्यवस्था
1	यू.एल.डी.बी. की गवर्निंग बॉर्डी	हाँ	यू.एल.डी.बी. की नीतियों के निर्धारण में सहभागिता हेतु इसके बोर्ड में 1. दुग्ध संघों के प्रतिनिधि 2. गोशालाओं के प्रतिनिधि, 3. एन.जी.ओ. के प्रतिनिधि, 4. पशुधन विशेषज्ञ एवं 5. चारा विशेषज्ञ शासन द्वारा नामित किये गए हैं।
2	यू.एल.डी.बी. की अधिशासी कमेटी	हाँ	बोर्ड के नैतिक (Routine) कार्यों में जन सहभागिता हेतु उपरोक्त में से 1. एन.जी.ओ के प्रतिनिधि तथा 2. चारा विकास विशेषज्ञ को अधिशासी कमेटी में बोर्ड द्वारा आमेलित किया गया है।

### नीति के कार्यान्वयन हेतु

5.3 लोक प्राधिकरण द्वारा नीतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधियों से / की परामर्श / भागीदारी का प्राविधान ।

क्र.सं.	विषय / कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है? (हाँ / नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु की गई व्यवस्था
1	नैसर्गिक अभिजनन हेतु सांड़ वितरण	हाँ	I. सांड़ क्रय हेतु गठित क्रय कमेटी में सम्बन्धित क्षेत्र / गांव का पशुपालक (जो सांड़ को पालेगा / रख—रखाव करेगा) सदस्य के रूप में नामित है। II- अनुपयुक्त हो गये सांड़ों को निस्तारित करने सम्बन्धी कमेटी में : 1. सम्बन्धित ग्रामसभा के प्रधान—अध्यक्ष, 2. सम्बन्धित दुग्ध समिति (यदि हो) के अध्यक्ष—सदस्य तथा 3. सम्बन्धित क्षेत्र / गांव का पशुपालक (जो सांड़ का रख—रखाव करता था) सदस्य के रूप में नामित है।
2	एन.पी.बी.बी. कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वरोजगारी ए.आई.कार्यकर्ता का प्रशिक्षण हेतु चयन।	हाँ	जनपदीय चयन समिति में सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा पशुचिकित्साधिकारी एवं मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को अध्यक्ष, सदस्य के रूप में नामित हैं।

## मैनुअल-5

लोक प्राधिकारी के पास या उसके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों  
(Categories) के अनुसार विवरण

लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों की जानकारी देने हेतु प्रारूप

क्र.सं.	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया	धारक / नियंत्रणाधीन
---------	---------	---	------------------------------------	---------------------

<b>1</b>	अधिष्ठान से सम्बन्धित	प्रशासनिक एवं स्थापना सम्बन्धी अभिलेख	शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार	स्थापना प्रभारी, यू.एल.डी.बी. मुख्यालय
<b>2</b>	स्टोर से सम्बन्धित	स्टोर एवं नजारत सम्बन्धी अभिलेख	शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार	नाजिर, यू.एल.डी.बी. मुख्यालय
<b>3</b>	लेखा से सम्बन्धित	लेखा, आडिट, बिल एवं वाउचर्स, सिक्योरिटीज़, एम.ओ.यू./अनुबन्ध तथा टैक्स सम्बन्धी अभिलेख	शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार	लेखाकार यू.एल.डी.बी., मुख्यालय
<b>4</b>	चारा से सम्बन्धित	चारा सम्बन्धी परिपत्र, आदेश, निर्देश, एवं दिशा निर्देश आदि	शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार	अपर प्रबन्धक (चारा) यू.एल.डी.बी., मुख्यालय
<b>5</b>	पशु प्रजनन से सम्बन्धित	पशु प्रजनन सम्बन्धी विभिन्न विधाओं यथा— नैसर्गिक अभिजनन, कृत्रिम गर्भाधान एवं भ्रूण प्रत्यारोपण और तत्सम्बन्धी इकाइयों तथा सम्बन्धित संयंत्रों, उपकरणों / मशीनों सम्बन्धी अभिलेख	शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार	उप प्रबन्धक (एम.आई.एस.), यू.एल.डी.बी., मुख्यालय
<b>6</b>	प्रशिक्षण से सम्बन्धित	विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों से सम्बन्धित आदेश निर्देश, पुस्तिकाएं आदि	शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार	उप प्रबन्धक (प्रशि.), यू.एल.डी.बी., मुख्यालय

## मैनुअल-6

बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

7.1 लोक प्राधिकरण से सम्बद्ध बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का संक्षिप्त विवरण।

- **सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता :**

उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड, पशुधन भवन, द्वितीय तल (बांयी विंग), मोथरोवाला रोड, पो0आ००  
मोथरोवाला, देहरादून—248001

- सम्बद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य) :  
सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत समिति ।
- सम्बद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य / मुख्य कृत्य) :
  - स्थापना — जुलाई 2002
  - मुख्यालय — पशुधन भवन, द्वितीय तल (बांयी विंग), मोथरोवाला रोड, पो00०० मोथरोवाला, देहरादून—248001
  - पंजीकरण संख्या—343 दिनांक 27.06.2001 (सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अन्तर्गत)

#### **उद्देश्य :**

- पशु प्रजनन एवं पशुधन विकास से सम्बन्धित संस्थागत ढांचा में सुधार, उनके उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि एवं तत्सम्बन्धी नई संस्थाओं की स्थापना कर ऐसे निवेश से लाभ प्राप्त करने में राज्य सरकार को सलाह एवं सहायता करना ।
- राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर गाय एवं भैंसों हेतु राज्य की पशु प्रजनन नीति के अनुरूप कार्यक्रम तैयार करके पशु उत्पादन एवं गुणवत्ता में निरन्तर वृद्धि करना ।
- गैर सरकारी संस्थाओं (सहकारी समितियों, गोशालाओं, ट्रस्टों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं) आदि को संगठित / प्रोत्साहित करके गुणात्मक प्रजनन सामग्री का उत्पादन / उपार्जन करना एवं लाभार्थी / कृषकों के द्वारा पर ही पशुप्रजनन सेवाएं उपलब्ध कराना ।
- अतिहिमीकृत वीर्य एवं तरल नत्रजन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ एवं सुचारू रूप से सुव्यस्थित कर निरन्तर आपूर्ति करना ।
- गाय एवं भैंसों को आधुनिक तकनीकों के अनुसार रख—रखाव व पालन—पोषण करके देशी एवं संकर नस्ल के उच्च प्रजाति / गुणवत्ता के सांड नैसर्गिक अभिजनन हेतु तैयार करना ।

#### **मुख्य कृत्य :**

सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य के पशुधन (गाय एवं भैंस) के प्रजनन एवं पशु—प्रबन्धन को नवीनतम तकनीकों द्वारा प्रोत्साहित कर बढ़ावा देना एवं इससे सम्बन्धित समस्त गतिविधियों को स्वावलम्बी बनाकर पशुधन उत्पादों में वृद्धि करना है ।

- स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य :

**स्वरूप :** उत्तराखण्ड सरकार का एक उपक्रम ।

## वर्तमान सदस्य :

1.	प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं गाम्य विकास विभाग शाखा, उत्तराखण्ड शासन, अध्यक्ष देहरादून।	
2.	संयुक्त सचिव (पशुपालन), पशुपालन, डेरी एवं मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली – 110001।	सदस्य
3.	सचिव, पशुपालन एवं डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।	सदस्य
4.	अपर सचिव, पशुपालन एवं डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।	सदस्य
5.	प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फेडरेशन, मंगलपड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)।	सदस्य
6.	निदेशक, डेरी विकास विभाग, मंगलपड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)।	सदस्य
7.	निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।	सदस्य
8.	अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, जी.बी.पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर ऊधमसिंहनगर।	सदस्य
9.	परियोजना निदेशक, डी.आर.डी.ए., देहरादून।	सदस्य
10.	प्रतिनिधि, बायफ राज्य कार्यालय, उत्तराखण्ड।	सदस्य
11.	राज्य सरकार द्वारा नामित पशुधन विशेषज्ञ।	सदस्य
12.	स्टेट डायरेक्टर, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, प्लाट नं0-3, सैकटर-1, नोएडा (उ0प्र0)-201301	सदस्य
13.	राज्य सरकार द्वारा नामित दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, (डेरी प्रतिनिधि)	सदस्य
14.	राज्य सरकार द्वारा नामित गोशाला प्रतिनिधि )	सदस्य
15.	प्रभारी परिसर, आई.वी.आर.आई., मुक्तेश्वर, जिला—नैनीताल।	सदस्य
16.	राज्य सरकार द्वारा नामित एन.जी.ओ. प्रतिनिधि।	सदस्य
17.	डा. कमल सिंह, मुख्य अधिकारी अधिकारी, यू.एल.डी.बी., देहरादून।	सदस्य / सचिव

- मुख्य अधिकारी का नाम : — डा0 एम0एस0 नयाल
- मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते :
  - 1. मुख्यालय — पशुधन भवन, प्रथम तल, मोथरोवाला रोड, पो0ओ0 मोथरोवाला, देहरादून—248001
  - 2. शाखा कार्यालय इकाइयाँ :
    - क. डी.एफ.एस., श्यामपुर — अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, ऋषिकेश—हरिद्वार बाई पास मार्ग, ऋषिकेश, श्यामपुर—ऋषिकेश, जनपद—देहरादून।
    - ख. प्रशिक्षण केन्द्र — यू.एल.डी.बी. प्रशिक्षण केन्द्र, ऋषिकेश, गंगा बैराज मार्ग, ऋषिकेश, जनपद—देहरादून।
    - ग. चारा बैंक — यू.एल.डी.बी. चारा बैंक, लक्कड़घाट मार्ग, ऋषिकेश, जनपद— देहरादून।
    - घ.सीमेन बैंक — यू.एल.डी.बी. सीमेन बैंक, नैनीताल दुग्ध संघ के निकट, लालकुआं (नैनीताल)
    - ड. पशुप्रजनन फार्म — पशुप्रजनन फार्म कालसी एवं इम्ब्रियो बायोटैक्नालॉजी रिसर्च एवं ट्रेनिंग सेन्टर, कालसी जनपद—देहरादून
    - च. फॉडर बैंक — पशुप्रजनन फार्म परिसर, कालसी, जनपद—देहरादून
    - छ. विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र — विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भरारीसैण, जनपद— चमोली
    - ज. राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र — राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, नरियालगांव, चम्पावत।

- बैठक की आवृत्ति :

वार्षिक सामान्य बैठक	—	वर्ष में एक बार।
साधारण सामान्य बैठक	—	आवश्यकतानुसार।
असाधारण सामान्य बैठक	—	आवश्यकतानुसार।
अधिशासी कमेटी बैठक	—	आवश्यकतानुसार।

- क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है ?

राज्य सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि भाग लेते हैं।

- क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार किये जाते हैं ?

हाँ ।

- क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ?

यदि हाँ, तो उसकी प्रक्रिया ?

हाँ, जनसामान्य की मांग पर नियमानुसार ।

## मैनुअल-7

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

अथोरिटी से सम्बन्धित सूचना ।

लोक प्राधिकरण का नामः उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड (यू.एल.डी.बी.)

लोक सूचना अधिकारी : मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/जनपदीय प्रबन्धक

क्र सं	नाम	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	डा० शष्टीबल्लभ पाण्डेय	मु०पशुचिकित्साधिकारी	0135	2712891	—	2712574	—	विकास भवन, ई.सी.रोड, देहरादून
2	डा० भूवन चन्द्र कर्नाटक	मु०पशुचिकित्साधिकारी	01334	239978	—	239034	—	विकास भवन, रोशनाबाद, हरिद्वार
3	डा० प्रेम सिंह रावत	मु०पशुचिकित्साधिकारी	01376	227296	—	—	—	नरेन्द्र नगर, टिहरी
4	डा० प्रलयंकर नाथ	मु०पशुचिकित्साधिकारी	01374	222320	—	—	—	विकास भवन, उत्तरकाशी
5	डा० सुधीर कुमार सिंह	मु०पशुचिकित्साधिकारी	01368	223084	—	223462	—	विकास भवन, पौड़ी
6	डा० रमेश सिंह नित्याल	मु०पशुचिकित्साधिकारी	01364	233251	—	—	—	राजकीय पशु चिकित्सालय परिसर रुद्रप्रयाग
7	डा० शरद कुमार भण्डारी	मु०पशुचिकित्साधिकारी	01372	252273	—	—	—	विकास भवन, गोपेश्वर (चमोली)
8	डा० गोपाल सिंह धामी	मु०पशुचिकित्साधिकारी	05944	242787	—	—	—	विकास भवन, रुद्रपुर (उधमसिंहनगर)
9	डा० प्रेम शंकर भण्डारी	मु०पशुचिकित्साधिकारी	05942	248362	—	—	—	विकास भवन, भीमताल, नैनीताल
10	डा० रविन्द्र चन्द्रा	मु०पशुचिकित्साधिकारी	05962	232289	—	—	—	विकास भवन, अल्मोड़ा
11	डा. उदय शंकर	मु०पशुचिकित्साधिकारी	05963	9412044990	—	—	—	पशुचिकित्सालय परिसर, बागेष्वर
12	डा० विद्यासागर कापड़ी	मु०पशुचिकित्साधिकारी	05964	225319	—	—	—	विकास भवन, पिथौरागढ़
13	डा० भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी	मु०पशुचिकित्साधिकारी	05965	230843	—	—	—	पशुचिकित्सालय परिसर, चम्पावत
14	डा० लोकेश कुमार	परियोजना निदेशक	01360	275073	—	275073	—	पशु प्रजनन फार्म कालसी, देहरादून।
15	डा० एच०सी० जोशी	परियोजना निदेशक		—	—	—	—	राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र नरियालगांव, चम्पावत
16	डा० अनुज अग्रवाल	परियोजना निदेशक		9410393688	—	—	—	विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भरारीसैण, चमोली

**सहायक सूचना अधिकारी : राज्य स्तरीय (यू.एल.डी.बी. स्तर)**

क्र सं	नाम	पदनाम	एस.टी. डी.कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री जी.सी. बमोला	वरिष्ठ सहायक	0135	2532619	मोबाइल 9410744155	2532619	ceo_uldb@rediffmail.com	पशुधन भवन, प्रथम तल, मोथरोवाला रोड, पो03० मोथरोवाला, देहरादून।

**लोक सूचना अधिकारी : राज्य स्तरीय (यू.एल.डी.बी. स्तर)**

क्र सं	नाम	पदनाम	एस.टी. डी.कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	डा० विशाल शर्मा	पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड-१	0135	2532619	मोबाइल 9412369347	2532619	ceo_uldb@rediffmail.com	पशुधन भवन, प्रथम तल मोथरोवाला रोड, पो03० मोथरोवाला, देहरादून।

**विभागीय अपीलेट अथोरिटी : यू.एल.डी.बी. स्तरीय**

क्र सं	नाम	पदनाम	एस.टी. डी.कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	डा० एम०एस० नयाल	मुख्य अधिशासी अधिकारी	0135	2532619 2532589	9412341102	2532619	ceo_uldb@rediffmail.com	पशुधन भवन, प्रथम तल, मोथरोवाला रोड, पो03० मोथरोवाला, देहरादून।

## मैनुअल—8

### निर्णय लेने की प्रक्रिया

9.1 किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए लोक प्राधिकरण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।

यू.एल.डी.बी. स्तर पर फील्ड / जनपदों / इकाइयों से प्राप्त होने वाले पत्रों, आने वाली समस्याओं / कठिनाइयों, अधिष्ठान सम्बन्धी कार्यों, वित्तीय मामलों तथा नीतिगत विषयों पर इकाई / मुख्यालय स्तरीय कर्मचारियों / अधिकारियों से विचार-विमर्श कर यू.एल.डी.बी. द्वारा मुख्य अधिशासी अधिकारी स्तर पर यथोचित प्रस्ताव / नीतिगत निर्णय लेने की कार्यवाही की जाती है। नियमावली तथा शासनादेशों के अनुसार मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा उन विषयों पर निर्णय लेकर आदेश / निर्देश / दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं, जो उनके अधिकार क्षेत्र में हैं।

उपरोक्त अधिकारी क्षेत्र से आगे / बाहर के मामले अध्यक्ष, यू.एल.डी.बी. के स्तर से निर्णीत होते हैं। इनमें से रुटीन नीतिगत मामले स्वीकृति / अनुमोदन हेतु अधिशासी कमेटी को संदर्भित किये जाते हैं, जहां से वे निर्णीत होते हैं और तदनुसार आदेश / दिशा निर्देश मुख्य अधिशासी अधिकारी स्तर से जारी किये जाते हैं।

प्रमुख नीतिगत प्रकरण / मामले बोर्ड की गवर्निंग बॉडी के समक्ष ले जाये जाते हैं, जिन पर गवर्निंग बॉडी द्वारा यथोचित निर्णय लेने के उपरांत तदनुसार आदेश / निर्देश / दिशा निर्देश जारी होते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त कलिपय अत्यंत महत्वपूर्ण नीतिगत प्रश्न / प्रकरण निर्णय हेतु उत्तराखण्ड शासन को संदर्भित होते हैं, जहां से होने वाले निर्णयों के अनुसार यू.एल.डी.बी. स्तर पर यथोचित कार्यवाही संपन्न की जाती है।

#### **9.2 किसी विषय विशेष पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया अथवा निर्णय लेने के लिए विचार किये जाने वाले स्तरों का उल्लेख।**

**अनुभागीय अधिकारी स्तर/इकाई प्रभारी स्तर पर :** विषयवार विवेकानुसार।

- यू.एल.डी.बी. स्तर पर :**
- क. मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा
  - ख. अध्यक्ष स्तर पर
  - ग. अधिशासी कमेटी स्तर पर
  - घ. गवर्निंग बॉडी स्तर पर

#### **9.3 लिये गये निर्णय को जनता तक पहुंचाने की व्यवस्था का उल्लेख।**

1. पत्रों / परिपत्रों द्वारा।
2. समाचार पत्रों द्वारा।
3. जनपदीय मुख्य पशुचिकित्साधिकारी / जनपद प्रबन्धक, यू.एल.डी.बी. के द्वारा।
4. सम्बन्धित ए.आई.केन्ड्रों / प्राइवेट पैरावेट्स / सांडपालकों आदि के माध्यम से।
5. समय-समय जारी किये जाने वाले पोस्टर, पम्पलेट, हैंडबिल एवं पुस्तक / पुस्तिकाओं के संवितरण से।
6. समय-समय यू.एल.डी.बी. द्वारा आयोजित की जाने वाली गोष्ठियों / सेमीनार, आदि के माध्यम से।
7. यू.एल.डी.बी. की वेबसाईट पर सम्बन्धित सूचनाओं को अपलोड कर सूचनाएं सम्प्रेषित / प्रसारित करके।

#### **9.4 विभिन्न स्तर पर निर्णय लेने के लिए जिन अधिकारियों की संस्तुति प्राप्त की जाती है, उनका विवरण :**

**जनपद स्तर पर :** मुख्य पशुचिकित्साधिकारी / जनपद प्रबन्धक, यू.एल.डी.बी.

**इकाई स्तर पर :** सम्बन्धित इकाई प्रभारी यथा-प्राचार्य, यू.एल.डी.बी. प्रशिक्षण केन्द्र, पशुलोक-ऋषिकेश, अपर प्रबन्धक (डी.एफ.एस.) श्यामपुर - ऋषिकेश, उप प्रबन्धक (चारा बैंक), श्यामपुर-ऋषिकेश, उप प्रबन्धक (सीमेन बैंक), लालकुआं- नैनीताल एवं परियोजना निदेशक / अपर प्रबन्धक, पशु प्रजनन फार्म, कालसी / परियोजना निदेशक, विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, भरारीसैण, चमोली एवं परियोजना निदेशक, राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, नरियालगांव, चम्पावत।

**राज्य स्तर :** यू.एल.डी.बी. मुख्यालय के सम्बन्धित अनुभागीय अधिकारी, एवं विभिन्न विषयों पर गठित कमेटी एवं समितियां।

#### **9.5 अंतिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकारित अधिकारी।**

मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एल.डी.बी., मुख्यालय।

#### 9.6 लोक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिये जाने वाले मुख्य विषय :

क्र0 सं0	
विषय जिस पर निर्णय लिया जाना है	यू.एल.डी.बी. द्वारा किये जा रहे कार्यों से सम्बन्धित समस्त विषय।
दिशा निर्देश (यदि हो तो)	दिशा निर्देशों का विवरण मैनुअल 3 में उल्लिखित है।
निर्णय लेने की प्रक्रिया	उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुसार
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों के पदनाम	जनपद स्तरीय : मुख्य पशुचिकित्साधिकारी / जनपदीय प्रबन्धक, यू.एल.डी.बी.। इकाई स्तर पर : सम्बन्धित इकाई प्रभारी, मुख्यालय स्तर पर : सम्बन्धित अनुभागीय अधिकारी, मुख्य अधिशासी अधिकारी, अध्यक्ष, यू.एल.डी.बी.।
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की संपर्क सूचना	मैनुअल 7 में उल्लिखित है।
निर्णय के विरुद्ध कहां और कैसे अपील करें	जनपद स्तरीय, इकाई स्तरीय, अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध : मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एल.डी.बी. को अपील होगी। अपील की प्रक्रिया सूचना के अधिकार सम्बन्धी नियमावली के अनुसार होगी।

## **मैनुअल—9**

**अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देषिका**

## यू.एल.डी.बी. देहरादून के कार्मिकों का विवरण

क्र. सं.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	डा० एम०एस० नयाल	मुख्य अधिशासी अधिकारी	0135	2532589	9412341102	2532619	ceo_uld@rediffmail.com	पश्चिम भवन, प्रथम तल मोथरोवाला रोड, पो०3००५० मोथरोवाला, देहरादून।
2	श्री देवेन्द्र कुमार	चालक (संविदा पर)	0135	2532619	—	तदैव	तदैव	तदैव
3	श्री उमेश पसबोला	कम्प्यूटर आपरेटर (लेखा) (6 माह के अनुबन्ध पर)	0135	2532619	—	तदैव	—	तदैव
4	श्री अनिल भण्डारी	कम्प्यूटर आपरेटर (प्रशिक्षण) (6 माह के अनुबन्ध पर)	0135	2453842	—	तदैव	—	यू.एल.डी.बी. प्रशिक्षण केन्द्र, गंगा बैराज रोड, पश्चिमोक्त - ऋषिकेश

- \* उपरोक्त प्रारूप सम्बन्धी पशुपालन विभाग से नोशनल डेपुटेशन/तैनाती पर यू.एल.डी.बी. में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी पशुपालन विभाग, स्तर से उनके द्वारा जारी किये गये मैनुअल में उल्लिखित है।

## मैनुअल—10

### प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

11.1 जानकारी का प्रारूप \*

क्र. सं.	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषिक / पारितोषित भत्ता (₹0)	विशेष विवरण
1	डा० एम०एस० नयाल	मुख्य अधिशासी अधिकारी	पशुपालन विभाग से नोशनल डेपुटेशन पर तैनात।		विभाग के नियमानुरूप
2	श्री देवेन्द्र कुमार	चालक	—	20,000	संविदा पर
3	श्री उमेश पसबोला	कम्प्यूटर आपरेटर (लेखा)	—	20,000	6 माह के अनुबन्ध पर
4	श्री अनिल भण्डारी	कम्प्यूटर आपरेटर (प्रशिक्षित)	—	19,000	6 माह के अनुबन्ध पर

\* शासन के निर्णय / आदेशानुसार यू.एल.डी.बी. में मुख्यतः पशुपालन विभाग के अधिकारी / कर्मचारी नोशनल डेपुटेशन पर कार्य कर रहे हैं, और उनके वेतन / भत्ते आदि पशुपालन विभाग द्वारा ही वहन किये जा रहे हैं, फलस्वरूप उपरोक्त प्रारूप सम्बन्धी जानकारी पशुपालन विभाग स्तर से उनके द्वारा जारी किये गये मैनुअल में उल्लिखित है।

पशुपालन विभाग के उपरोक्तानुसार उल्लिखित स्टाफ सहित उपरोक्त कार्यरत स्टाफ का समूहवार विवरण (संख्यावार) निम्नवत है :

**समूह क** : 01 पद (पशुपालन विभाग से)

10 पद (पशुपालन विभाग से)

**समूह ख** : 05 पद (पशुपालन विभाग) से

**समूह ग** : 31 पद (पशुपालन विभाग) से

**समूह घ** : 42 पद (पशुपालन विभाग) से

## मैनुअल—11

### प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट (सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)

12.1 निर्माण, विकास तकनीकी कार्य करने वाले लोक प्राधिकरणों के लिए लोक प्राधिकरण के प्रत्येक अभिकरण

को आवंटित बजट की सूचना (जिसमें सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण का उल्लेख हो) का प्रारूप \*

वर्ष 2018–19

(लाख ₹)

क्र0सं0	योजना का नाम	कार्य	कार्य प्रारम्भ होने की तिथि	कार्य के समापन की अनुमानित तिथि	स्वीकृत बजट (लाख ₹)	अवमुक्त बजट (लाख ₹)	शासन द्वारा प्रदत्त धनराशि (किस्तों में)	कुल व्यय	कार्य की गुणवत्ता एवं समापन करवाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी
1	नेशनल डेरी प्लान फेज-1	Production of High Genetic Merit Crossbreed HF bulls through Progeny Testing, sub Project Plan	01-04-18	31-03-19	808.94	808.94	808.94	808.94	मुख्य अधिशासी अधिकारी
2.	नेशनल डेरी प्लान फेज-1	Strengthening of Deep Frozen Semen Production Centre Shyampur, Sub Project Plan	01-04-18	31-03-19	710.76	650.20	661.52	661.52	मुख्य अधिशासी अधिकारी
3	नेशनल डेरी प्लान फेज-1	Production of HF and Jersey bull calves through ET from imported embryos	01-04-18	31-03-19	401.64	204.20	196.78	196.78	मुख्य अधिशासी अधिकारी

## **मैनुअल-12**

### **अनुदान / राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति**

**जानकारी का प्रारूप :**

- **कार्यक्रम / योजना का नाम**  
राष्ट्रीय गौ एवं महिषवंशीय परियोजना

- कार्यक्रम / योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा (अवधि)  
10 वर्ष
- कार्यक्रम का उद्देश्य  
सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में पशुधन (गाय एवं भैंस) के प्रजनन एवं प्रबन्धन को नवीनतम तकनीकों द्वारा बढ़ावा देना एवं इससे सम्बन्धित समस्त गतिविधियों को स्वावलम्बी बना कर पशुधन उत्पादों में वृद्धि करना ।
- कार्यक्रम के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (विगत वर्ष में) \*  
भौतिक लक्ष्य :

क्र.	मद	2018–19	
		लक्ष्य	उपलब्धि
1.	नये/सचल कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना	100	95
	कृत्रिम गर्भाधान (संख्या)	705000	692881
	कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न संतति (संख्या)	282000	311425
2.	नैसर्गिक अभिजनन हेतु सांड वितरण (संख्या) *	—	—
3.	फोजन सीमेन उत्पादन केन्द्र का सुदृढ़ीकरण	01	01
4.	अतिहिमीकृत वीर्य स्ट्रा का उत्पादन	3020000	2543649
	प्रशिक्षण केन्द्र का सुदृढ़ीकरण / स्थापना	01	01
5.	एन.पी.बी.बी. परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण	—	84
6.	यू.एल.डी.बी. प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा निष्पादित / प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	500	347
7.	कालसी प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा	500	247
8.	फारमर्स ओरियन्टेशन एवं इनफर्टिलिटी कैम्प	—	—
9.	चारा विकास कार्यक्रम		
क.	काम्पैक्ट फीड सप्लीमेन्ट ब्लाक निर्माण (मी०टन)	3000	2619.644
	काम्पैक्ट फीड सप्लीमेन्ट ब्लाक वितरण (मी०टन)	3000	2628.484
10	एनडीपी-1 के अन्तर्गत पी.टी. परियोजना		
	Bulls put to test	75	15
	No. of Test AI done	150000	30148
	Total long storage FSDs	225000	45000
	No. of Pregnancies	60000	11078
	No. of Daughters Born	16500	3253
	No. Daughters registered	11880	3102
11	Number of Animal Milk recordings	7200	1197
	एनडीपी-1 के अन्तर्गत सीमेन बैंक का सुदृढ़ीकरण परियोजना		
	Strengthening of Deep Frozen Semen Production Centre, Shyampur, Sub Project Plan		
	Frozen semen dose production (Lakh)	30.20	25.43
	Frozen semen dose sale (Lakh)	30.00	22.48
	Semen dose production per bull per year	30300	25956
	Bull under collection	91	98

- लाभार्थी की पात्रता  
नैसर्गिक अभिजनन कार्यक्रम का लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र का पशुपालक अथवा पशुपालन में रुचि रखने वाला होना चाहिए । महिला लाभार्थी को कार्यक्रम में प्राथमिकताएं दी जाती हैं ।
- पूर्वापेक्षाएं

**ग्रामीण पशुपालक हों।**

- **अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया**  
मैनुअल 3 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप ।
- **पात्रता निश्चित करने के लिए मापदण्ड**  
मैनुअल 3 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप ।
- **दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (अनुदान की राशि सहित)**  
अनुदान के रूप में कोई नकद धनराशि नहीं दी जाती। सांडपालक को यू.एल.डी.बी. की ओर से अपने क्षेत्र में नैसर्गिक अभिजनन कार्य सम्पन्न करने हेतु निःशुल्क सांड उपलब्ध कराये जाते हैं।
- **अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया**  
मैनुअल 3 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप ।
- **आवेदन करने के लिए कहाँ/किससे सम्पर्क करें ।**  
जनपदीय मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/जनपद प्रबन्धक, यू.एल.डी.बी. अथवा/एवं सम्बन्धित दुग्ध संघ के प्रधान प्रबन्धक से ।
- **आवेदन शुल्क (जहाँ उचित हो)**  
कोई शुल्क नहीं ।
- **अन्य शुल्क (जहाँ उचित हो)**  
कोई शुल्क नहीं ।
- **आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता हो, तो स्पष्ट उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदन कर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें)**  
संलग्नक 01 पर संलग्न है ।
- **संलग्नकों की सूची**  
01
- **संलग्नकों का प्रारूप**  
प्रारूप संलग्न
- **प्रक्रिया से सम्बन्धित समस्या होने पर कहाँ सम्पर्क करें**  
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/जनपदीय प्रबन्धक, यू.एल.डी.बी. अथवा/एवं सम्बन्धित दुग्ध संघ के प्रधान प्रबन्धक से ।
- **उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसे—जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि)**  
लागू नहीं ।
- **लाभार्थियों की सूची \***  
लाभार्थियों का जनपदवार विवरण निम्नवत है :

#### क. कृत्रिम गर्भाधान सम्बन्धी विवरण

क्रमांक	नाम जनपद	केन्द्रों का वर्ग	कार्य कर रहे ए.आई.केन्द्रों की संख्या
1	देहरादून	राजकीय ए.आई. केन्द्र	61
		स्वरोजगारी ए.आई.कर्ता	58
		बायफ	10
2	हरिद्वार	राजकीय ए.आई.केन्द्र	41

		स्वरोजगारी ए.आई.कर्ता	85
		बायफ	10
3	टिहरी	राजकीय ए.आई.केन्द्र	51
		स्वरोजगारी ए.आई.कर्ता	37
		बायफ	1
4	उत्तरकाशी	राजकीय ए.आई.केन्द्र	47
		स्वरोजगारी ए.आई.कर्ता	57
		बायफ	0
5	रुद्रप्रयाग	राजकीय ए.आई.केन्द्र	26
		स्वरोजगारी ए.आई.कर्ता	22
		बायफ	6
6	चमोली	राजकीय ए.आई.केन्द्र	31
		स्वरोजगारी ए.आई.कर्ता	37
		बायफ	15
7	पौड़ी	राजकीय ए.आई.केन्द्र	63
		स्वरोजगारी ए.आई.कर्ता	38
		बायफ	07
8	नैनीताल	राजकीय ए.आई.केन्द्र	104
		स्वरोजगारी ए.आई.कर्ता	44
		बायफ	28
		दुर्घट समितियां	4
9	ऊधमसिंहनगर	राजकीय ए.आई.केन्द्र	93
		स्वरोजगारी ए.आई.कर्ता	87
		बायफ	18
		दुर्घट समितियां	18
10	अल्मोड़ा	राजकीय ए.आई.केन्द्र	70
		स्वरोजगारी ए.आई.कर्ता	45
		बायफ	22
		दुर्घट समितियां	0
11	बागेश्वर	राजकीय ए.आई.केन्द्र	24
		स्वरोजगारी ए.आई.कर्ता	26
		बायफ	14
12	पिथौरागढ़	राजकीय ए.आई.केन्द्र	48
		स्वरोजगारी ए.आई.कर्ता	39
		बायफ	09
13	चम्पावत	राजकीय ए.आई.केन्द्र	28
		स्वरोजगारी ए.आई.कर्ता	05
		बायफ	15
		योग	1444

#### ग. भ्रूण प्रत्यारोपण कार्यक्रम :

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पशु प्रजनन फार्म कालसी में इस नवीनतम तकनीक का उपयोग करके

अभी तक पशु प्रजनन फार्म कालसी पर 204 उच्चतम गुणवत्ता की संततियां उत्पन्न की जा चुकी हैं। इस दिशा में लगातार सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं तथा 256 रेड सिन्धी नस्ल अतिहिमीकृत भ्रूण तैयार कर इम्ब्रियो बैंक में सुरक्षित किये गये हैं।



## मैनुअल-13

रियायतों, अनुज्ञा पत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण

## 14.1 जानकारी का प्रारूप \*

- कार्यक्रम का नाम
- प्रकार (रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार में से एक चुने)
- उद्देश्य
- लक्ष्य (विगत वर्ष में)
- पात्रता
- पात्रता का आधार
- पूर्वापेक्षाएं
- प्राप्त करने की प्रक्रिया
- रियायत, अनुज्ञा पत्र अथवा प्राधिकार दिये जाने के लिए निर्धारित समय सीमा (अवधि)
- आवेदन शुल्क
- आवेदन पत्र का प्रारूप
- संलग्नकों की सूची
- संलग्नकों का प्रारूप
- प्राप्तिकर्ताओं की सूची का प्रारूप

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	प्राप्तिकर्ता का नाम	वैद्यता किस दिनांक तक है	पिता का नाम	निवास			
				ज़िला	शहर	मोहल्ला / गांव	मकान नं०

रियायत के लिए दी जाने वाली जानकारी :

- दिये जाने वाले लाभ का विवरण
- लाभ के वितरण की प्रक्रिया

\* लागू नहीं ।

## मैनुअल-14

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

15.1 लोक प्राधिकरण द्वारा अपने विभिन्न क्रियाकलापों/कार्यक्रमों के सम्पादन हेतु प्रयोग किये जाने

## वाले मानक / नियमों का कार्यक्रमवार विवरण ।

नैसर्गिक अभिजनन हेतु सांड़ वितरण के मापदण्ड :

गाय सांड़ो हेतु मानक –

- नस्ल – जर्सी, जर्सी क्रास, एच.एफ., एच.एफ.क्रास, रेड सिन्धी
- स्वास्थ्य – उत्तम
- नर जननेद्रिय – विकसित

भैंसा सांड़ हेतु मानक :

- नस्ल – मुर्गा
- स्वास्थ्य – उत्तम
- नर जननेद्रिय – विकसित

तरल नत्रजन एवं अतिहिमीकृत वीर्य के वितरण का मापदण्ड :

- प्रत्येक माह में निश्चित अंतराल पर निरंतर ए.आई.केन्ड्रों पर यू.एल.डी.बी. के वितरणकर्ता द्वारा मांग के अनुसार चालान द्वारा सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी को अतिहिमीकृत वीर्य, तरल नत्रजन, शीथ व स्टेशनरी आदि की आपूर्ति सुनिश्चित, जिसका विवरण यू.एल.डी.बी. द्वारा प्रदत्त पंजिकाओं में अंकित करना अनिवार्य ।
- प्रत्येक माह में अधिकतम 35 ली० तक तरल नत्रजन की आपूर्ति एक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र / उपकेन्द्र हेतु निश्चित ।
- अतिहिमीकृत वीर्य स्ट्रा की आपूर्ति न्यूनतम 80 की पैकिंग में ।

कृत्रिम गर्भाधान हेतु मापदण्ड :

- पशु के गर्भी में आने की सूचना प्राप्त होने पर पशुपालक के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान कार्य होगा । पशु को केन्द्र पर लाने की बाध्यता नहीं
- प्रत्येक राजकीय कृत्रिम गर्भाधान पर सेवा शुल्क ₹60.00 मात्र लेकर पशुपालक को रसीद देना अनिवार्य ।
- प्रत्येक कृत्रिम गर्भाधान हेतु एक ही स्ट्रा का प्रयोग निर्धारित । प्रत्येक अतिरिक्त स्ट्रा के उपयोग पर ₹60.00 मात्र का शुल्क जमा करना अनिवार्य । प्राप्त शुल्क को उसी दिन विभागीय कैश बुक में अंकित करना अनिवार्य ।
- निर्धारित किये गए लक्ष्यों के अनुसार कृत्रिम गर्भाधान कार्य किया जाना अपरिहार्य ।
- अधिकतम क्षतिग्रस्त स्ट्रा की सीमा वर्ष में कुल आपूर्ति का 3 प्रतिशत तक ही मान्य । अधिक क्षतिग्रस्त की स्थिति में प्रति स्ट्रा ₹60.00 मात्र का भुगतान अनिवार्य ।

मैनुअल—15  
इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनाएं

**16.1 भाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों से सम्बन्धित जानकारी का उल्लेख (जो इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में हो)**

यू.एल.डी.बी. के सम्बन्ध में जानकारी हेतु बोर्ड की वेबसाईट एवं ई-मेल निम्नवत है :

वेबसाईट : [www.uldb.org](http://www.uldb.org)

ई-मेल : [ceouldb2019@gmail.com](mailto:ceouldb2019@gmail.com), [ceo\\_uldb@rediffmail.com](mailto:ceo_uldb@rediffmail.com)

## मैनुअल-16

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

17.1 सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए विभाग/संगठन द्वारा की गई व्यवस्था का विवरण यथा –

- **पुस्तकालय**  
यू.एल.डी.बी. मुख्यालय, देहरादून में उपलब्ध है।  
यू.एल.डी.बी. प्रशिक्षण केन्द्र, पश्चिमी-ऋषिकेश में उपलब्ध है।
- **नाटक/नुक्कड़**  
लागू नहीं।
- **समाचार पत्रों द्वारा**  
समय-समय पर आवश्यकतानुसार।
- **प्रदर्शनी**  
समय-समय पर आवश्यकतानुसार।
- **सूचना पटल**  
सामान्य सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती रहती हैं।
- **अभिलेखों का निरीक्षण**  
शासन के नियमानुसार।
- **दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था**  
शासन के नियमानुसार।
- **उपलब्ध विभागीय मैनुअल**  
लागू नहीं।
- **लोक प्राधिकरण की वेबसाईट**  
वेबसाईट : [www.uldb.org](http://www.uldb.org)  
ई-मेल : [ceouldb2019@gmail.com](mailto:ceouldb2019@gmail.com), [ceo\\_uldb@rediffmail.com](mailto:ceo_uldb@rediffmail.com)
- **अन्य प्रचार-प्रसार के साधन**  
गोष्ठी, कैम्प, कार्यशाला सेमीनार आदि।

मैनुअल—17  
अन्य उपयोगी जानकारियाँ

18.1 लोक प्राधिकरण से जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तरः

## 18.2 सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में

- आवेदन पत्र (संदर्भ के लिए एक भरे हुए आवेदन पत्र की प्रति सहित) \*
- शुल्क \*
- सूचना आवेदन पत्र पर किस तरह मांगी जाये (कुछ टिप्प) \*
- सूचना न देने व अपील करने के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व अपील करने की प्रक्रिया \*

## 18.3 लोक प्राधिकरण द्वारा जनता को दिये जाने वाले प्रशिक्षण

- प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम व विवरण ।  
संलग्न है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा ।  
संलग्न है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य  
ग्रामीण पशुपालकों/दुग्ध उत्पादकों/लाभार्थियों सहित जनसामान्य को पशुपालन, डेयरी विकास एवं तत्सम्बन्धी अन्य/विविध विषयों/तकनीकी के सम्बन्ध में जागरूक एवं शिक्षित करना ।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम के भौतिक व वित्तीय लक्ष्य (विगत वर्ष में)  
संलग्न है।
- लाभार्थी की पात्रता  
ग्रामीण पशुपालक/दुग्ध उत्पादक
- पूर्वापेक्षायें (यदि हों)  
ग्रामीण क्षेत्र का निवासी एवं पशुपालक ।
- अनुदान /सहायता (यदि हो)  
कुछ नहीं ।
- दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण  
लागू नहीं ।
- अनुदान राशि सहित  
लागू नहीं ।
- अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया  
लागू नहीं ।
- आवेदन के लिए कहां/किससे संपर्क करें।  
जनपदीय मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/जनपद प्रबन्धक, यू.एल.डी.बी. ।  
मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एल.डी.बी., देहरादून ।
- आवेदन शुल्क (जहां उचित हो)  
कुछ नहीं ।
- अन्य शुल्क (जहां उचित हो)  
कोई नहीं ।
- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होना हो, तो अवगत करायें, कि आवेदक आवेदन

करते समय किन बातों का उल्लेख करे।  
कोई नहीं ।

- संलग्नकों की सूची  
01
- संलग्नकों का प्रारूप  
संलग्न है।
- आवेदन करने की प्रक्रिया  
शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ।
- चयन प्रक्रिया  
निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम की समय सारणी (यदि हो)  
प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यकतानुसार संस्थाओं की मांग एवं सुविधा अनुसार आयोजित होते हैं।
- प्रशिक्षण के समय /अवधि के बारे में आवेदन को सूचित करने का तरीका।  
सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं को पत्र/फैक्स आदि द्वारा ।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए लोक प्राधिकरण द्वारा किये जाने वाले कार्य।  
जनपदीय अधिकारियों के माध्यम से सूचना देकर तथा हैंडबिल, पम्फलेट, लीफलेट और प्रशिक्षण पुस्तिकाओं आदि द्वारा ।
- विभिन्न स्तर यथा— जिला स्तर, ब्लाक स्तर आदि पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लाभार्थियों की सूची तथा अन्य विवरण ।  
सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम यू.एल.डी.बी. के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र, पश्चालोक-ऋषिकेश एवं पशु प्रजनन फार्म कालसी जनपद-देहरादून में आयोजित किये जाते हैं।

#### 18.4 लोक प्राधिकरण द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि के सम्बन्ध में जो मैनुअल 13 में न सम्मिलित हों :

- प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि का नाम व विवरण \*
- प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने हेतु पात्रता \*
- आवेदन करने के लिए कहां/किससे संपर्क करें \*
- आवेदन शुल्क (जहां उचित हो) \*
- अन्य शुल्क (जहां उचित हो) \*
- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होना हो, तो अवगत करायें, कि आवेदक आवेदन करते समय किन बातों का उल्लेख करे।) \*
- संलग्नकों की सूची \*
- संलग्नकों का प्रारूप \*
- आवेदन करने की प्रक्रिया \*
- आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया (यहां उस प्रक्रिया का विवरण दें, जो आवेदक द्वारा सारी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात लोक प्राधिकरण द्वारा की जाती है।) \*
- आवेदन की सारी औपचारिकताएं सही तरह से पूरी करने के पश्चात प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि जारी करने के लिए निर्धारित समयावधि \*

- प्रमाण पत्र के प्रभावी रहने की समय सीमा (यदि हो) \*
- नवीनीकरण की प्रक्रिया (यदि हो) \*
- \* लागू नहीं ।

#### 18.5 लोक प्राधिकरण में होने वाले पंजीयन के सम्बन्ध में :

- यू.एल.डी.बी. द्वारा राज्य के प्राइवेट ए.आई.कर्टर्सों को पंजीकृत किया जाता है।
- **पंजीयन का उद्देश्य**  
प्रदेश में कृत्रिम गर्भधान के माध्यम से ग्रामीण पशुओं (गाय एवं भैंस) की नस्ल का सुधार ।
  - **आवेदक की पात्रता**  
कृत्रिम गर्भधान तकनीक में प्रशिक्षण ।
  - **पूर्वापेक्षायें (यदि हों)**  
यथासंभव उसी क्षेत्र में मोटर मार्ग पर निवास करता हो, जहाँ कृत्रिम गर्भधान कार्य संपन्न करना है। उत्तराखण्ड का मूल निवासी हो और कम से कम हाईस्कूल उत्तीर्ण हो ।
  - **आवेदन करने के लिए कहाँ / किससे संपर्क करें**  
मुख्य अधिकारी अधिकारी, यू.एल.डी.बी., पशुधन भवन, द्वितीय तल (बांयी विंग), मोथरोवाला रोड, पो० ३०० मोथरोवाला, देहरादून-248001  
दूरभाष : 0135-2532619, 2532589
  - **आवेदन शुल्क (जहाँ उचित हो)**  
₹100, यू.एल.डी.बी. देहरादून के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा ।
  - **अन्य शुल्क (जहाँ उचित हो)**  
कुछ नहीं ।
  - **आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होना हो, तो अवगत करायें, कि आवेदक आवेदन करते समय किन बातों का उल्लेख करे।**  
संलग्न है।
  - **संलग्नकों की सूची**  
01
  - **संलग्नकों का प्रारूप**  
कोई नहीं ।
  - **आवेदन करने की प्रक्रिया**  
निर्धारित प्रारूपानुसार ।
  - **आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया (यहाँ उस प्रक्रिया का विवरण दें, जो आवेदक द्वारा सारी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात लोक प्राधिकरण द्वारा की जाती है।**  
पंजीकरण करके अभिलिखित प्रमाण पत्र आवेदक को इस आशय हेतु कि भेजा जाता है। उपलब्ध कराया जाता है कि वह तीन वर्ष तक समस्त कृत्रिम गर्भधान से सम्बन्धित इनपुट्स (अतिहिमीकृत वीर्य, तरल नत्रजन, एवं ए.आई.सम्बन्धी अन्य विविध उपकरण / सामान यू.एल.डी.बी. से निर्धारित शुल्क अदा कर प्राप्त कर सकेगा।
  - **आवेदन की सारी औपचारिकताएं सही तरह से पूरी करने के पश्चात प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि जारी करने के लिए निर्धारित समयावधि**

15 दिन

- प्रभावी रहने की समय सीमा (यदि हो)

तीन (03) वर्ष

- नवीनीकरण की प्रक्रिया (यदि हो)

नवीनीकरण का आवेदन प्राप्त होने पर 15 दिन के अन्दर निःशुल्क नवीनीकरण करके तत्सम्बन्धी सूचना पत्र आवेदक को भेज दिया जाता है।

**18.6 लोक प्राधिकरण (Municipal Corporation, Trade Tax, Entertainment Tax etc.) द्वारा टैक्स लेने के सम्बन्ध में।**

- टैक्स का नाम व विवरण \*

- टैक्स लेने का उद्देश्य \*

- टैक्स निर्धारण करने के लिए मापदण्ड व प्रक्रिया \*

- बड़े (डंरवत) बकायेदारों (Defaulters) की सूची \*

\* लागू नहीं /

**18.7 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली बिजली/पानी के कनेक्शन, कनेक्शन को अस्थायी/स्थायी रूप से विच्छेदन आदि के सम्बन्ध में सूचना (यह स्थानीय निकाय यथा— नगर पालिका/नगर परिषद/यूपी.सी.एल. द्वारा दी जानी है)**

- आवेदक की पात्रता \*

- पूर्वापेक्षाएं (यदि हों) \*

- आवेदन करने के लिए कहां/किससे संपर्क करें \*

- आवेदन शुल्क (जहां उचित हो) \*

- अन्य शुल्क/देय (जहां उचित हो) \*

- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होना हो, तो अवगत करायें, कि आवेदक आवेदन करते समय किन बातों का उल्लेख करे \*)

- संलग्नकों की सूची \*

- संलग्नकों का प्रारूप \*

- आवेदन करने की प्रक्रिया \*

- आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया (यहां उस प्रक्रिया का विवरण दें, जो आवेदक द्वारा सारी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात लोक प्राधिकरण द्वारा की जाती है \*)

- बिल में प्रयोग किये गए शब्दों का विवरण \*

- बिल तथा अन्य सेवाओं के सम्बन्ध में समस्या होने की स्थिति में सम्पर्क सूचना \*

- टैरिफ तथा अन्य देय \*

\* लागू नहीं /

**18.8 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली अन्य सेवाओं का विवरण ।**

अन्य — कुछ नहीं ।

**मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/ जनपदीय प्रबन्धक**

क्र सं	नाम	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	डा० शष्टीबल्लभ पाण्डेय	मु०पशुचिकित्साधिकारी	0135	2712891	—	2712574	—	विकास भवन, ई.सी.रोड, देहरादून
2	डा० भूवन चन्द्र कर्नाटक	मु०पशुचिकित्साधिकारी	01334	239978	—	239034	—	विकास भवन, रोशनाबाद, हरिद्वार
3	डा० प्रेम सिंह रावत	मु०पशुचिकित्साधिकारी	01376	227296	—	—	—	नरेन्द्र नगर, टिहरी
4	डा० प्रलयंकर नाथ	मु०पशुचिकित्साधिकारी	01374	222320	—	—	—	विकास भवन, उत्तरकाशी
5	डा० सुधीर कुमार सिंह	मु०पशुचिकित्साधिकारी	01368	223084	—	223462	—	विकास भवन, पौड़ी
6	डा० रमेश सिंह नित्वाल	मु०पशुचिकित्साधिकारी	01364	233251	—	—	—	राजकीय पशु चिकित्सालय परिसर रुद्रप्रयाग
7	डा० शरद कुमार भण्डारी	मु०पशुचिकित्साधिकारी	01372	252273	—	—	—	विकास भवन, गोपेश्वर (चमोली)
8	डा० गोपाल सिंह धामी	मु०पशुचिकित्साधिकारी	05944	242787	—	—	—	विकास भवन, रुद्रपुर (उधमसिंहनगर)
9	डा० प्रेम शंकर भण्डारी	मु०पशुचिकित्साधिकारी	05942	248362	—	—	—	विकास भवन, भीमताल, नैनीताल
10	डा० रविन्द्र चन्द्रा	मु०पशुचिकित्साधिकारी	05962	232289	—	—	—	विकास भवन, अल्मोड़ा
11	डा० उदय शंकर	मु०पशुचिकित्साधिकारी	05963	9412044990	—	—	—	पशुचिकित्सालय परिसर, बागेष्ठर
12	डा० विद्यासागर कापड़ी	मु०पशुचिकित्साधिकारी	05964	225319	—	—	—	विकास भवन, पिथौरागढ़
13	डा० भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी	मु०पशुचिकित्साधिकारी	05965	230843	—	—	—	पशुचिकित्सालय परिसर, चम्पावत